नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं छत्तीसगढ़ नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 तथा छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश

(2009 का अधिनियम)

हिन्दी - अंग्रेजी में

The Right Of Children To Free And Compulsory Education Act, 2009

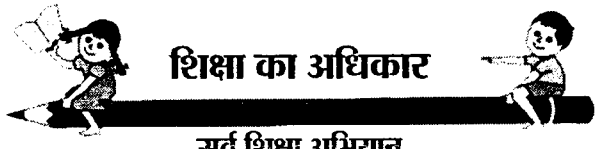

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़े सब बढ़े

NUEPA DC

D14972

राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़ रायपुर, द्वारा प्रसारित

379.26
RAJ-KHI

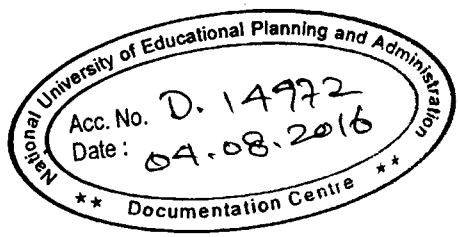

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

अधिनियम , 2009

धाराओं का क्रम

धाराएं	विषय		पृष्ठ क्र.
	अध्याय 1	-	1-3
	प्रारंभिक		
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।		
2.	परिभाषाएं।		
	अध्याय 2	-	4-5
	निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार		
3.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार।		
4.	ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिये विशेष		
5.	अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार।		
	अध्याय 3	-	6-9
	समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्त्तव्य		
6.	समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्त्तव्य।		
7.	वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बंटाना।		
8.	समुचित सरकार के कर्त्तव्य।		
9.	स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य।		
10.	माता-पिता और संरक्षक का कर्त्तव्य।		
11.	समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना।		
	अध्याय 4	-	10-16
	विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व		
12.	निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व की सीमा।		
13.	प्रेवश के लिए प्रतिव्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।		
14.	प्रवेश के लिए आयु का सबूत।		
15.	प्रवेश से इंकार न किया जाना।		
16.	रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध।		
17.	बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध।		
18.	मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना।		
19.	विद्यालय के मान और मानक।		
20.	अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।		

21. विद्यालय प्रबंध समिति।
22. विद्यालय विकास योजना।
23. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें।
24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना।
25. छात्र-शिक्षक अनुपात।
26. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना।
27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किये जाने का प्रतिषेध।
28. शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध।

अध्याय 5 - 17

प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया।
30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र।

अध्याय 6 - 18-19

बालकों के अधिकारों का संरक्षण

31. बालक के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना।
32. शिकायतों को दूर करना।
33. राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद् का गठन।
34. राज्य सलाहाकार परिषद् का गठन।

अध्याय 7 - 20-22

प्रकीर्ण

35. निर्देश जारी करने की शक्ति।
36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी।
37. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।
38. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची - 23-24

छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009

भाग एक - प्रारंभिक - 28
भाग दो - विद्यालय प्रबंध समिति - 29-30
भाग तीन - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार - 31
भाग चार - केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व - 32-34
भाग पाँच - विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व - 35-37
भाग छः - अध्यापक - 38-39
भाग सात - पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना - 40
भाग आठ - बाल अधिकारों का संरक्षण - 41-43
परिशिष्ट - प्ररूप - एक - 44-48
- प्ररूप - दो - 49-51

THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009

No. 35 of 2009

Sec.	Subject	Page No.
	CHAPTER I	1-3
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
	CHAPTER II	4-5
	RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION	
3.	Right to child to free and compulsory education	
4.	Special provisions for children not admitted to, or who have not completed, elementrary education	
5.	Right of transfer to other school	
	CHAPTER III	6-9
	DUTIES OF APPROPRIATE GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITY AND PARENTS	
6.	Duty of appropriate Government and local autthority to establish school	
7.	Sharing of financial and other responsibilities	
8.	duties of appropriate Government	
9.	Duties of local authority	
10.	Duty of parents and guardian	
11.	Appropriate Government to provide for pre-school education	
	CHAPTER IV	10-16
	RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS	
12.	Extent of school's responsibility for free and compulsory education	
13.	No capitation fee and screening procedure for admission	
14.	Proof of age for admission	
15.	No denial of admission	
16.	Prohibition of holding back and expulsion	
17.	Prohibition of physical punishment and mental harassment to child	
18.	No Shool to be established without obtaining certificate of recognition	
19.	Norms and standard for school.	
20.	Power to amend Schedule	

21. School Management Committee
22. School Developments Plan
23. Qualification for appointment and terms and conditions of service of teachers
24. Duties of teachers and redressal of grievances
25. Pupil-Teacher Ratio.
26. Filling up vacancies of teachers.
27. Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes
28. Prohibition of private tuition by teacher

CHAPTER V - 17

CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

29. Curriculum and evaluation procedure
30. Examination and completion certificate

HAPTER VI - 18-19

PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

31. Monitoring of child's right to education
32. Redressal of grievances
33. Constitution of National Advisory Council
34. Constitution of State Advisory Council

CHAPTER VII - 20-22

MISCELLANEOUS

35. Power to issue directions
36. Previous sanction for prosecution.
37. Protection of action taken in good faith
38. Power of appropriate Government to make rules

THE SCHEDULE - 23-24

Model Rules Under The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

Part I	-	Preliminary	-	52
Part II	-	School Management Committee	-	53-54
Part III	-	Right to Children to Free and Compulsory Education	-	55
Part IV	-	Duties an Responsibilities of Central Government, Appropriate Government and Local Authority	-	56-58
Part V	-	Responsibilities of Schools and Teachers	-	59-61
Part VI	-	Teachers	-	62-63
Part VII	-	Curriculum and Completion of Elementary Education	-	64
Part VIII	-	Protection of Right of Children	-	65-67
Form I			-	68-71
Form II			-	72-74
भारत का राजपत्र (The Gazette of India)			-	76-81
Notification			-	82-83
भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश			-	84-89

1. क्रमांक F.No. 1-1/2008-EE-4 (Pt.I) Govt. of India MHRD Deparment of School Education & Literacy New Delhi, 9th june 2010.
2. क्रमांक F.No. 1-4/2010-EE-4 Govt. of India MHRD Deparment of School Education & Literacy New Delhi, 22nd june 2010.
3. क्रमांक F.No. 21-5/2009-EE-XI Govt. of India MHRD Deparment of School Education & Literacy New Delhi, 15th june 2012.
4. क्रमांक F.No. 1-3/2010-EE-4 Govt of India MHRD Deparment of School Education & Literacy New Delhi, 13th july 2012.

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी दिशा-निर्देश 90-142

1. आदेश क्रमांक एफ 13–6/2009/20–2 रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2009।
2. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2 रायपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2010।
3. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2 रायपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2010।
4. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2 रायपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2010।
5. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2 रायपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2010।
6. पत्र क्रमांक एफ 13–55/2011/20 रायपुर, दिनांक 10 मई 2011।
7. पत्र क्रमांक/एफ–13–47/20/2011/दो/DPI/1093 रायपुर, दिनांक 03.06.2011।
8. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20–तीन/पार्ट–3/2011 रायपुर, दिनांक 18.07.2011।
9. पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/3 रायपुर, दिनांक 10.08.2011।
10. आदेश क्रमांक एफ 13–47/20–3/11/पार्ट–4 रायपुर, दिनांक 23.08.2011।
11. आदेश क्रमांक एफ 13–47/पार्ट–4/20–3/2011 रायपुर, दिनांक 23.08.2011।
12. आदेश क्रमांक एफ 13–47/20–3/2011/पार्ट–4 रायपुर, दिनांक 23.08.2011।
13. आदेश क्रमांक एफ 13–47/20–3/2011/पार्ट–4 रायपुर, दिनांक 23.08.2011।
14. आदेश क्रमांक एफ 13–47/20–3/2011/पार्ट–4 रायपुर, दिनांक 23.08.2011।
15. आदेश क्रमांक एफ 13–13/20–3/2012 रायपुर, दिनांक 23.03.2012।
16. पत्र क्रमांक एफ 13–19/20–3/2012 रायपुर, दिनांक 13.04.2012।
17. आदेश क्रमांक एफ 13–12/20–3/2012 रायपुर, दिनांक 20.09.2012।
18. पत्र क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3 रायपुर, दिनांक 07.01.2013।
19. आदेश क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3 रायपुर, दिनांक 09.05.2013।
20. पत्र क्रमांक एफ 13-07/2013/20-3, नया रायपुर, दिनांक 02/08/2013।

THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009

No. 35 of 2009

[27th August, 2009]

An Act to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.

Bait enacted by Parliament in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *(1)* This Act may be called the Right of Children to free and compulsory Education Act, 2009

(2) It shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Officaial Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "appropriate Government" means—

(i) in relation to a school established, owned or controlled by the Central Government, or the administrator of the Union territory, having no legislature, the Central Government;

(ii) in relation to a school, other than the school referred to in subclause *(i)*, established within the territory of—

(A) a State, the State Government;

(B) a Union territory having legislature, the Government of that Union territory;

नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)

27अगस्त, 2009]

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''समुचित सरकार'' से,–

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार,

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, -

(क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सरकार,

(ख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है:

(b) "Capitation fee" means any kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school;

(c) "child" means a male or female child of the age of six to fourteen years;

(d) "child belonging to disadvantaged group" means a child belonging to the Scheduled caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally back ward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the approprite Government, by notification;

(e) "child belonging to weaker section" means a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification;

(f) "elementary education" means the education from first class to eighth class;

(g) "guardian" in relation to a child, means a person having the care and custody of that child and includes a natural guardian or guardian appointed or declared by a court or a statute;

(h) "local authority" means a Municipal Corporation or Municipal Council or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name called, and includes such other authority or body having administrative control over the school or empowered by or under any law for the time being in force to function as a local authoruity in any city, town or village;

(i) "National Commission for Protection of Child Right" means the National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3 of the Commissions for Protection of child Rights Act, 2005;

(j) "notification" means a notification published in the offical Gazette;

(k) "parent" means either the natural or step or adoptive father or mother of a child;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Schedule" means the Schedule annexed to this Act;

(ख) ''प्रति व्यक्ति फीस'' से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है:

(ग) ''बालक'' से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है:

(घ) ''अलाभित समूह का बालक'' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है;

(ङ) ''दुर्बल वर्ग का बालक'' से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;

(च) ''प्रारंभिक शिक्षा'' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;

(छ) किसी बालक के संबंध में संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है;

(ज) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है;

(झ) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की
धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''माता-पिता'' से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम के अधीन से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(n) "school" means any recognised school imparting elementary education and includes—

(i) a school establised, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;

(ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authortiy;

(iii) a school belonging to specifiedcategory; and

(iv) an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authorty;

(o) "screening procedure" means the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method;

(p) "specified category", in relation to a school, means a school known as Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Sainik School or any other school having a distinct charater which may be specified, by notification, by the appropriate Government;

(q) "State Commission for Protection of child Rights" means the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

****

(ढ) ''विद्यालय'' से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :-

(I) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

(II) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय;

(III) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय; और

(IV) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर - सहायता प्राप्त विद्यालय;

(ण) ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है;

(त) किसी विद्यालय के संबंध में ''विनिर्दिष्ट प्रवर्ग'' से केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए;

(थ) ''राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।

****

CHAPTER II
RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

3. *(1)* Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory education in a neighbourhood school till completion of elemen tary education.

(2) For the purpose of sub-section *(1)*, nochild shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education;

Provided that a child suffering from disability, as defined in clause *(i)* of secxtion 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1996, Shall have the right to pursue free and compulsory elementary education in accordance with the provisions of Chapter V of the said Act.

4. Where a child above six years of age has not been admitted in any school or though admitted, could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age;

Provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitlted to free education till compeltion of elementary educatiojn even after fouteen years.

5. *(1)* Where in a school, there is no provision for completion of elementary education, a child shall have a right to seek transfer to any other school, excluding the school specified in sub-clauses *(iii)* and *(iv)* of clause *(n)* of section 2, for completing his or her elementary education.

(2) Where a child is requied to move from one school to another, either within a

अध्याय 2

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3. (1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करेः

परंतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसरण में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. जहां छह वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु जहां किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित किया जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परंतु यह और की प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

5. (1) जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (III) और उपखंड (IV) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने कर अधिकार होगा।

(2) जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से

state or outside, for any reason whatsoever, such child shall have a right to seek transfer to any other school, excluding the school specified in sub-clauses *(iii)* and *(iv)* of clause *(n)* of section 2, for completing his or her elementary education.

(3) For seeking admission in such other school, the Head-teacher or in-charge of the school where such child was last admitted, shall immediately issue the tranfer certificate;

Provided that delay in producing transfer certificate shall not be a ground for either delaying or denying admission in such other school:

Provided further that the Head-teacher or in-charge of the school delaying issuance of transfer certificate shall be liable for disciplinary action under the service rules applicable to him or her.

****

दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बालक को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंढ (III) और उपखंड (IV) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान प्राध्यापक या भारसाधक, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगाः

परंतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय मे प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगाः

परंतु यह और कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगा/होगीः

****

CHAPTER III

DUTIES OF APPROPRIATE GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITY AND PARENTS

6. For carrying out the provisions of this Act, the appropriate Government and the local authority shall establish, within such area or limits or neighbourhood, as may be prescribed, a school, where it is not so established, within a period of three years from the commencement of this Act.

7. *(1)* The Central Government and the State Governments shall have concurrent responsinbility for the implementation of the provisions of this Act.

(2) The Central Government shall prepare the estimates of capital and recurring expenditure for the implementaion of the provisions of the Act.

(3) The Central Government shall provide to the State Governments, as grants-in-aid of revenues, such percentatge of expenditure referred to in sub-section *(2)* as it may determine, from time to time, in consultaion with the State Governments.

(4) The Central Government may make a request to the President to make a reference to the Finance Commission under sub-clause *(d)* of clause *(3)* of article 280 to examine the need for additional resources to be provided to any State Government so that the said State Government may provide its share of funds for carrying out the provisions of the Act.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section *(4)* the State Government shall, taking into consideration the sums provided by the Central Government to a State Government under sub-section *(3)* , and its resources, be respon sible to provide funds for implenmentation of the provisions of the Act.

(6) The Central Government shall —

(a) develop a framework of national curriculum with the help of academic authority specified under section 29.

(b) develop and enforce standards for trainning of teachers:

(c) provide technical support and resources to the State Government for promoting innovations, researches, planning and capacity building.

8. The appropriate Government shall—

(a) provide free and compulsory elementary education to every child:

Provided that where a child is admitted by his or her parents or guardian, as the case may be in a school other than a school established, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectyly by the appropriate Government or a local authority, such child or his or her parents or guardian, as the case may be, shall not be entiled to make a claim for reimbursement of expenditure incurred on elementary eduction of the child in such other school.

Explanation— The term "compulsory education" means obligation of the appropriate Government to—

(i) provide free elementary education to every child of the age of six to fourteen years; and

(ii) ensure compulsory admission, attendance and completion of elemen tary education by every child of the age of six to fourteen years;

(b) ensure availability of a neighbourhood school as specified in section-6;

(c) ensure that the child belonging to weaker section and the child belonging to disadvantaged group are not discriminated against and prevented from pursuing and completing elementary education on any grounds;

(d) provide infrastructure including school building, teaching staff and learning equipment;

(e) provide special training facility specified in section 4;

(f) ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every child;

(g) ensure good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the Schedule;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी:

(ग) नवीकरण, अनुसंधान योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

8. समुचित सरकार -

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी:

परंतु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - अनिवार्य शिक्षा पद से समुचित सरकार की, -

(I) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने: और

(II) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की, बाध्यता अभिप्रेत है:

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी:

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से निवारित न हो:

(घ) अवसरंचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृंद और शिक्षा के उपस्कर भी है, उपलब्ध कराएगी:

(ङ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी:

(छ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी:

(h) ensure timely prescribing of curriculum and courses of study for elementary education; and

(i) provide training facility for teachers.

9. Every local authority shall—

(a) provide free and compulsory elementary education to every child:

Provided that where a chaild is admitted by his or her parents or guardian, as the case may be, in a school other than a school established, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or a local authority, such child or his or her parents or guardian, as the case may be shall not be entiled to make a claim for reimbursement of expenditure incurred on elementary education of the child in such other school;

(b) ensure availability of a neighbourhood school as specified in section 6;

(c) ensure that the child belonging to weaker section and the child belonging to disadvantaged group are not discriminated against and prevented from pursuing and completing elementary education on any grounds;

(d) maintain records of children up to the age of fourteen years residing within its jurisdiction, in such manner as may be prescribed;

(e) ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every child residing within its jurisdiction.

(f) provide infrastructure including school building, teaching staff and learning material;

(g) provide special training facility specified in section 4;

(h) ensure good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the Schedule;

(i) ensure timely prescribing of curriculum and coureses of study for elementary education;

(j) provide training facility for teachers;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगीः और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।

9. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी -

(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगाः

परंतु जहां किसी बालक को, यथास्थित , उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगाः

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगीः

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो :

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख करेगाः

(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगाः

(च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृंद और शिक्षा साम्रगी भी है, उपलब्ध कराएगाः

(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगाः

(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगाः

(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगाः

(k) ensure admission of children of migrant families;

(l) monitor functioning of schools within its jurisdiction; and

(m) decide the academic calendar.

10. It shall be the duty of every parent or guardian to admit or cause to be admitted his or her child or ward, as the case may be, to an elementary education in the neighbourhood school.

11. With a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre-school education for such children.

****

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा:

(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा:

(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मानीटर करेगा, और

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा।

10. प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

11. प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते है, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

****

CHAPTER IV
RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

12. *(1)* For the purposes of this Act, a school,—

(a) specified in sub-clause *(i)* of clause *(n)* of section 2 shall provide free and compulsory elementary education to all children admitted therein;

(b) specified in sub-clause *(ii)* of clause *(n)* of section 2 shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children ad mitted therein as its annual recurring aid or grants so received bears to its annual recurring expenses, subject to a minimum of twenty-five per cent;

(c) specified in sub-clauses *(iii)* and *(iv)* of clause *(n)* of section 2 shall admit in class I, to the extent of at least twenty-five per cent. of the strength of that class. children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education fill its completion;

provided further that where a school specified in clause *(n)* of section 2 imparts pre-school education, the provisions of clauses *(a)* to *(c)* shall apply for admission to such pre- school education.

(2) The school specified in sub-clause *(iv)* of clause *(n)* of section 2 providing free and compulsory elementary education as specified in clause *(c)* of sub-section *(1)* shall be reimbursed expenditure so incurred by it to the extent of per-child-expenditure incurred by the State, or the actual amount charged from the child, whichever is less, in such manner as may be prescribed;

Provided that such reimbursement shall not exceed per-child-expenditure incurred by a school specified in sub-clause *(i)* of clause *(n)* of section 2;

अध्याय 4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (I) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगाः

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (II) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निः शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा :

(ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (III) और (IV) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगाः

परंतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होगें।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (IV) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की , राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में ,जो विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगीः

परंतु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (I) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगीः

Provided further that where such school is already under obiligation to provide free education to a specified number of children on account of it having received any land building, equipment or other facilities, either free of cost or at a concessional rate, such school shall not be entitled for reimbursement to the extent of such obligation.

(3) Every school shall provide such information as may be required by the appropriate Government or the local authority, as the case may be.

13. *(1)* No school or person shall, while admiting a child, collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardian to any screening procedure.

(2) Any school or person, if in contravention of the provisions of sub section *(1)*,—

(a) receives capitation fee, shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged;

(b) subjects a child to screening procedure, shall be punishable with fine which may extend to twenty-five thousand rupees for the first contravention and fifty thousand rupees for each subsequent contraventions.

14. *(1)* For the purposes of admission to elementary education, the age of a child shall be determined on the basis of the birth certificate issued in accordance with the provisions of the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 or on the basis of such other document, as may be prescribed.

(2) No child shall be denied admission in a school for lack of age proof.

15. A child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed;

provided that no child shall be denied admission if such admission is sought subsequent to the extended period;

परंतु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन उपस्कर या अन्य सुविधाएं या तो निःशुल्क या रियायती दर पर, प्राप्त करने के कारण पहले से ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

13. (1) कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में,–

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लघंन के लिए पच्चीस हजार रूपये तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

14. (1) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी।

(2) किसी बालक को, आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।

15. किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु किसी बालक की प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् इंप्सित है:

Provided further that any child admitted after the extended period shall complete his studies in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.

16. No child admited in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.

17. *(1)* No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section *(1)* shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person.

18. *(1)* No school, other than a school established, owned or controlled by the appropriate Government or the local authority, shall, after the commencements of this Act. be established or function, without obtaining a certificate of recognition from such authority, by making an application in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The authority prescribed under sub-section *(1)* shall issue the certificate of recognition in such form, within such period, in such manner, and subject to such condition as may be prescribed;

Provided that no such recognition shall be granted to a school unless it fulfils norms and standards specified under section 19.

(3) On the contravention of the conditions of recognition, the prescribed authority shall, by an order in writing, withdraw recognition.

Provided that such order shall contain a direction as to which of the neighbourhood school, the children studying in the derecognised school, shall be admitted.

Provided further that no recognition shall be so withdrawn without giving an opportunity of being heard to such school, in such mannner, as may be prescribed.

(4) With effect from the date of withdrawal of the recognition under sub-section(3), no such school shall continue to function.

(5) any person who establishes or runs a school without obtaining certificate of recognition, or continues to run a school after withdrawal of recognition, shall

परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।

16. किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

17. (1) किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा।

18. (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहत की जाएं, मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(3) मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगा:

परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निदेश होगा जिसमें गैर - मान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) ऐसा विद्यालय, उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है

be liable to fine which may extend to one lakh rupees and in case of continuing contraventions, to a fine of ten thousand rupees for each day during which such contravention continues.

19. *(1)* No school shall be established, or recognised, under section 18, unless it fulfils the norms and standards specified in the Schedule.

(2) Where a school established before the commencement of this Act does not fulful the norms and standards specified in the Schedule, it shall take steps to fulfil such norms and standards at its own exspenses, within a period of three years from the date of such commencenment.

(3) Where a school fails to fulfil the norms and standards within the period specified under sub-section *(2)*, the authority prescribed under sub-section *(i)* of section 18 shall withdraw recognition granted to such school in the manner specified under sub-section *(3)* thereof.

(4) With effect from the date of withdrawal of recognition under sub-section (3). no school shall continue to function.

(5) Any person who continues to run a school after the recognition is withdrawn, shall be liable to fine which may extend to one lakh rupees and in case of continuing contraventions, to a fine of ten thousand rupees for each day during which such contravention continues.

20. The Central Government may, by notification, amend the Schedule by adding to, or omitting therefrom, any norms and standards.

21. *(1)* A school, other than a school specified in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2, shall constitute a School Management committee consisting of the elected representaives of the local authority, parents of guardians of children admitted in such school and teachers;

Provided that atleast three-fourth of members of such Committee shall be parents or guardians:

Provided futher that proportionate representation shall be given to the parents or guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker section:

या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

19. (1) किसी विद्यालय को, धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

(3) जहां कोई विद्यालय, उपधारा, (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय की अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

(4) कोई विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये के जुर्माने का दायी होगा।

20. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का, उस में किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी।

21. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंढ (IV) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यायलय प्रबंध समिति का गठन करेगाः

परंतु ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगेः

परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को

Provided also that fifty per cent. of Members of such Committee shall be women.

(2) The School Management Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) monitor the working of the school;

(b) prepare and recommend school development plan;

(c) monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government or local authority or any other source; and

(d) perform such other functions as may be prescribed.

22. *(1)* Evfery School Management Committee, constituted under sub-section (1) of section 21, shall prepare a School Development Plan, in such manner as may be prescribed.

(2) The School Development Plan so prepared under sub-section (1) Shall be the basis for the plans and grants to be made by the appropriate Government or local authority, as the case may be.

23. *(1)* Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an acadecmic authority, authorised by the Central Government, by notification shall be eligible for appointment as a teacher.

(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education. or teachers possessing minimum qulifications as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification.

Provided that a teacher who, at the commencement of this Act, does not possess minimum qualification as laid down under sub-section (1), shall acquire such minimum qualification within a period of five years.

(3) The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teachers shall be such as may be prescribed.

समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा-

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियां होंगी-

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मानीटर करना:

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना:

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानीटर करना: और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

22. (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

23. (1) कोई व्यक्ति, जिसके पासकेन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा (1) केअधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनाधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

24. *(1)* A teacher appointed under sub-section (1) of section 23 shall perform the following duties, namely:—

(a) maintain regularity and punctuality in attending school;

(b) conduct and complete the curriculum in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 29;

(c) complete entire curriculum within the specified time;

(d) assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions, if any. as require;

(e) hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child; and

(f) perform such other duties as may be prescribed.

(2) A teacher committing default in performance of duties specified in sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to him or her;

Provided that before taking such disciplinary action, reasonable opportunity of being heard shall be afforded to such teacher.

(3) The grievances, if any, of the teacher shall be redressed in such manner as may be prescribed.

25. *(1)* Within six month from the date of commencement of this Act. the appropriate Government and the local authority shall ensure that the Pupil-Teacher Ratio, as specified in the Schedule, is maintained in each school.

(2) For the purpose of mainatining the Pupil-Teacher Ratio under sub-section (1).no teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or deployed for any non-educational purpose, other than those specified in section 27.

24. (1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालनः

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करनाः

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करनाः

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़नाः

(ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत करनाः और

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगा/होगी।

परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) शिक्षक की शिकायतों को यदि कोई हों, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए।

25. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगाः

26. The appointing authority, in relation to a school established, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or by a local authority, Shall ensure that vacancy of teacher in a school under its control shall not exceed ten per cent. of the total sanctioned strength.

27. No teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parlaiment, as the case may be.

28. No teacher shall engage himself or herself in private tuition or private teaching activity.

****

26. नियुक्ति प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलबध करवाई गई निधियों द्वारा भागतः वित्तपोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

27. किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्यों या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद के निर्वाचनों से कर्त्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

28. कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नही लगाएगा/लगाएगी।

****

CHAPTER V

CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

29. *(1)* The curriculum and the evaluation procedure for elementary education shall be laid down by an academic authority to be specifled by the appropriate Government, by notification.

(2) The academic authority, while laying down the curriculum and the evaluation procedure under sub-section (1), shall take into consideration the following, namely:—

(a) conformity with the values enshrined in the Constitution;

(b) all round development of the child;

(c) building up child's knowledge, potentiality and talent;'

(d) development of physical and mental abilities to the fullest extent;

(e) learning through activities, discovery and exploration in a child friendly and child-centered manner;

(f) medium of instructions shall, as far as practicable, be in child's mother tongue;

(g) making the child free of fear, trauma and anxiety and helping the child to express views freely;

(h) comprehensive and continuous evaluation of child's understading of knowledge and his or her ability to apply the same.

30. *(1)* No child shall be required to pass any Board examination till completion of elementary education.

(2) Every child completing his elementary education shall be awarded a certificate, in such form and such manner, as may be prescribed.

****

अध्याय 5

प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

29. (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्याकंन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्याकंन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा अर्थात्:-

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता:

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास:

(ग) बालक के ज्ञान, अन्तः शक्ति, योग्यता का निर्माण करना:

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास:

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण:

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा:

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना:

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्याकंन।

30. (1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

******

CHAPTER VI
PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

31. *(1)* The National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3, or. as the case may be , the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, shall, in addition to the functions assigned to them under that Act, also perform the following functions, namely :—

(a) examine and review the safeguards for rights provided by or under this Act and recommend measures for their effective implementation;

(b) inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education; and

(c) take necessary steps as provided under sections 15 and 24 of the said Commissions for Protection of Child Rights Act.

(2) The said Commissions shall, while inquiring into any matters relating to child's right to free and compulsory education under clause (c) of sub-section (1), have the same powers as assigned to them respectively under sections 14 and 24 of the said commissions for Protection of Child Rights Act.

(3) Where the State Commission for Protection of Child Rights has not been constituted in a state, the appropriate Government may, for the purpose of performing the functions specified in clauses (a) to (c) of sub-section (1), constitute such authority, in such manner and subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

32. *(1)* Not withstanding anything contained in section 31, any person having any grievance relating to the right of a child under this Act may make a written complaint to the local authority having jurisdiction.

(2) After receiving the complaint under sub-section (1), The local authority shall decide the matter within a period of three month after affoding a reasonable opportunity of being heard to the parties concened.

अध्याय 6

बालकों के अधिकार का संरक्षण

31. (1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात्:

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षापायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना:

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथाउपबंधित आवश्यकत उपाय करना।

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई है।

(3) जहां किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति मे और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

32. (1) धारा 31 में किसी बात के होने हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक क अधिकार के संबंध में कोई शिकायत हैं, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

(3) Any person aggrieved by the decision of the local authority may prefer an appeal to the State Commission for Protection of Child Rights or the authority prescribed under sub-section (3) of section 31, as the case may be.

(4) The appeal preferred under sub-section (3) shall be decided by State Commission for Protection of Child Rights or the authority prescribed under sub-section (3) of section 31, as the case may be, as provided under clause (c) of sub-section (1) of section 31.

33. *(1)* The Central Government shall constitute, by notification a National Advisory Council, consisting of such number of Members, not exceeding fifteen, as the Central Government may deem necessary, to be appointed from amongst persons having knowldge and practical experience in the field of elementary education and child development.

(2) The functions of the National Advisory Council shall be to advise the Central Government on implementation of the provisions of the Act in an effective manner.

(3) The allowances and other terms and conditions of the appointement of Members of the National Advisory Council shall be such as may be prescribed.

34. *(1)* The State Government shall constitute, by notification, a State Advisory Council consisting of such numebr of Members, not exceeding fifteen, as the state Government may deem necessary, to be appointed from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development

(2) The functions of the State Advisory council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of the Act in an effective manner.

(3) The allowances and other terms and conditions of appointment of Members of the State advisory Counncil shall be such as may be prescribed.

****

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझें जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होंगे।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगे, जो विहित की जाएं।

34. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होंगे।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जांए।

CHAPTER VII
MISCELLANEOUS

35. *(1)* The central Government may issue such guidelines to the appropriate Government or as the case may be, the local authority, as it deems fit for the purposes of implementation of the provisions of this Act.

(2) The appropriate Government may issue guidelines and give such directions, as it deems fit, to the local authority or the School Management Committee regarding implementation of the provisions of this Act.

(3) The local authority may issue guidelines and give such directions, as it deems fit, to the School management Committee regarding implementation of the provisions of this Act.

36. No prosecution for offence punishable under sub-section (2) of section 13, sub-suction (5) of section 18 and sub-section (5) of section 19 shall be instituted except with the previous sanction of an officer authorised in this behalf, by the appropriate Government, by notification.

37. No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Government, the National Commission for Protection of Child Rights, the State Commission for Protecdtion of Child Rights, the local authority, the School management Committee or any person, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act, or any rules or order made there under.

38. *(1)* The appropriate Government may, by notification, make rules, for carrying out provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the manner of giving special training and the time-limit thereof, under first proviso to section 4;

(b) the area or limits for establishment of a neighbourhood school, under section 6;

(c) the manner of mainteenance of records of children up to the age of

अध्याय 7

प्रकीर्ण

35. (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझें।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

36. धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं कियाजाएगा।

37. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्टीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

38. (1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 4 के पहले परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय-सीमाः

(ख) धारा 6 के अधीन किसी आसपास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं :

fourteen years, under clause (d) of section 9;

(d) the manner and extent of reimbursement of expenditure, under subsection *(2)* of section 12;

(e) any other document for determining the age of child under subsection *(1)* of section 14;

(f) the extended period for admission and the manner of completing study if admitted after the extended period, under section 15;

(g) the authority, the form and manner of making application for certificate of recognition, under sub-section *(1)* of section 18;

(h) the form, the period, the manner and the conditions for issuing certificate of recognition, under sub-section(2) of sectrion 18;

(i) the manner of giving opportunity of hearing undr second proviso to sub-section (3) of section 18;

(j) The other functions to be perfomed by school management Committee under clause (d) of sub-section (2) of section 21;

(k) the manner of preparing School Development Plan under sub-secdtion(1) of section 22;

(l) the salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teacher, under sub-section (3) of section 23;

(m) the duties to be performed by the teacher under clause (f) of sub-section (1) of section 24;

(n) the manner of redressing grievances of teachers under sub-section (3) of section 24;

(o) the form and manner of awarding certificate for completion of elementary education under sub-section (2) of section 30;

(p) the authority, the manner of its constitution and the terms and conditions therefor, under sub-section (3) of section 31;

(q) the allowances and other terms and conditions of appointment of Members of the National Advisory Council under sub-section (3) of section 33:

(ग) धारा 9 के खंड (घ) के अधीन चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखेजाने की रीतिः

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति और सीमाः

(ङ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेजः

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की रीतिः

(छ) वह प्राधिकारी, प्ररूप और रीति, जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगाः

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप, अवधि उसे जारी करने की रीति और शर्तेः

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने की रीतिः

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्यः

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीतिः

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तेः

(ड) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य :

(ढ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षकों को शिकायतों को दूर करने की रीतिः

(ण) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाण पत्र देने का प्ररूप और रीतिः

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और एस के निबंधन और शर्तेः

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के

(r) the allowances and other terms and conditions of appointment of Members of the State Advisory Council under sub-section (3) of section 34;

(3) Every rule made under this Act and every notification issued under sections 20 and 23 by the Central Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or both Houses agree that the rule or notification should not be made, the rule or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification.

(4) Every rule or notification made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislatures.

****

भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें:

(द) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें:

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्यके नियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धरा 23 के अधीन जारी प्रत्यके अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्यके सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्यके नियम या अधिसूचना बनाए/बनाई जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा/रखीजाएगी।

THE SCHEDULE

(See sections 19 and 25)

NORMS AND STANDARDS FOR A SCHOOL

Sl.No.	Item	Norms and Standards	
1.	Number of teachers;		
	(a) For first class to fifth class	Admitted children	Number of teachers
		Up to Sixty	Two
		Between sixty-one to ninety	Three
		Between Ninety-one to one hundred and twenty	Four
		Between One hundred and twenty-one to two hundred	Five
		Above One hundred and fifty children	Five plus one Head-teacher
		Above Two hundred children shall not exceed forty	Pupll-Teacher Ratio (excluding Head-teacher)
	(b) For sixth class to eighth class	(1) At least one teacher per class so that there shall be at least one teacher each for— *(i)* Science and Mathematics *(ii)* Social Studies; *(iii)* Languages. (2) At least one teacher for every thirty-five children. (3) Where admission of children is above one hundred— *(i)* a full time head-teacher; *(ii)* part time instructors for— (A) Art Education: (B) Health and Physical Education; (C) Work Education.	
2.	Building	All-weather building consisting of— *(i)* at least one class-room for every teache and an office-cum-store-cum-Head teacher's room; *(ii)* Barrier-free access;	

अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्रमांक	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या :		
	(क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए	प्रवेश किंए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक पांच धन एक	प्रधान अध्यापक
		दो सौ बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।
	(ख) छंठवी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो-	
		(i) विज्ञान और गणितः	
		(ii) सामाजिक अध्ययन :	
		(iii) भाषा।	
		(2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक।	
		(3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां ...	
		(i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापकः	
		(ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक..	
		(अ) कला शिक्षाः	
		(आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	
		(इ) कार्य शिक्षा।	
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे-	
		(i) प्रत्यके शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-प्रधान अध्यापक कक्षः	
		(ii) बाधा मुक्त पहुंच	

		(iii) separate toilets for boys and girls; *(iv)* safe and adequate drinking water facility to all children; *(v)* a kitchen where mid-day meal is cooked in the school; *(vi)* Playground; *(vii)* arrangements for securing the school building by boundary wall or fencing.
3.	Minimum number of working instructional hours in an academic yer	*(i)* two hundred working days for first days/ class to fifth class; *(ii)* two hundred and twenty working days for sixth class to eighth class; *(iii)* eight hundred instructional hours per academic year for first class to fifth class; *(iv)* one thousand instructional hours per academic year for sixth class to eigth class.
4.	Minimum number of working hours per week for the teacher	forty-five teaching including preparation hours
5.	Teaching learning equipment	Shall be provided to each class as required.
6.	Library	There shall be a library in each school providing newspaper, magazines and books on all subjects, including story-books.
7.	Play material, games and sports equipment	Shall be provided to each class as required.

T.K.VISHWANATHAN,
Secretary to the Govt. of India

		(iii) लड़को और लड़कियो के लिए पृथक शौचालयः (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधाः (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई (vi) खेल का मैदान (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवसः (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवसः (iii) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटाः (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटें।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगें।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तके भीं हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएगें।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजूकेशन एक्ट 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव, भारत सरकार

छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,रायपुर
अधिसूचना
===0===

कमांक एफ 13–47/20–तीन/2010 रायपुर, दिनांक 12.11.2010.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

भाग एक–प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 कहलाएंगे ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) "अधिनियम "से अभिप्रेत है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009;
   (ख) "आंगनबाड़ी "से अभिप्रेत है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र;
   (ग) "नियत तारीख "से अभिप्रेत है, राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है;
   (घ) "जिला शिक्षा अधिकारी "से अभिप्रेत है, किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी;
   (ङ) "छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख "से अभिप्रेत है, विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख;
   (च) "विद्यालय योजना निर्माण "से अभिप्रेत है, सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना।

   (2) इन नियमों में " प्ररूपों "के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट एक में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश है।
   (3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत हैं।

भाग दो–विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य.– (1) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जो इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन राज्य शासन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता–पिताओं या संरक्षकों में से होगा।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा.–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा;

(दो) विद्यालय के अध्यापकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा;

(तीन) स्थानीय शिक्षाविदों, विद्यालय के बालकों में से एक–तिहाई जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता–पिताओं द्वारा किया जाएगा;

(चार) विद्यालय प्रबंध समिति में खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) को मिलाकर 50% महिलाएँ सदस्य होंगी।

(4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य–संयोजक होगा।

(5) उक्त समिति माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उप–धारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्त्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास के जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) इस बात को मानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उप–धारा

(2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(8) उप–नियम (6) के खंड (ञ) में और उप–नियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना.– (1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उप–योजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्:–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन;

(ख) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा;

(ग) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्षों की अवधि से ऊपर अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग तीन—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण.— (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति, विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी,

अर्थात्:—

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार समुचित शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग चार–केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं.– (1) आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्नलिखित होंगी-

(क) कक्षा 1 से 5 के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा;

(ख) कक्षा 6 से 8 के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा।

(2) जहाँ कहीं अपेक्षित हो, समुचित सरकार या स्थानीय निकाय कक्षा 1 से 5 वाले विद्यमान विद्यालयों को कक्षा 6 से 8 को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत कर सकेगी। ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जो कक्षा 6 से आरंभ होते है, समुचित सरकार या स्थानीय निकाय, जहां कहीं आवश्यक हो, कक्षा 1 से 5 जोड़ने का प्रयास करेगी।

(3) कठिन भू–भाग, भूस्खलनों के जोखिम, बाढ़ कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उप–नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके।

(4) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के बालकों के लिए, जहां उप–नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या सीमाओं के शिथिलीकरण में, विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे स्थानों मे 6–14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के संबंध में जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा।

(8) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो।

7. **राज्य शासन का केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व.**— (1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियत तारीख से एक मास के भीतर, पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी, जिन्हें प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके कार्यक्रम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है।

(3) राज्य सरकार, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करेगी और उस व्यय की, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में वह स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगी, प्रतिशतता का अवधारण करेगी।

(4) राज्य सरकार, क्रियान्वयन हेतु, केन्द्र सरकार से संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एक अनुकल्पी तंत्र का गठन कर सकेगी।

8. **राज्य सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व.**— (1) राज्य सरकार, राज्य पाठ्यचर्या के ढांचे के विकास के लिए नियत तारीख से एक मास के भीतर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ और ऐसे अन्य शैक्षिक प्राधिकारियों से परामर्श करके, जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों के संबंध में अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का उपबंध करने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए योजना (योजनाएं) तैयार करेगी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार कोई मानिटरी तंत्र भी है।

9. **समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व.**— (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (एक) में निर्दिष्ट समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (दो) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन–सामग्रियों और गणवेश के लिए हकदार होगा।

परंतु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यह उल्लेखनीय है कि धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक और धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (दो) और धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आस-पास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।

(3) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो।

(4) धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में तथा शौचालय या कक्षाओं की सफाई में अलग न रखा जाए या उसके विरूद्ध विभेद न किया जाए।

10. **स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना.**— (1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन, सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण व्दारा, उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

(3) उप–नियम में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 9 के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(4) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) नाम, लिग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान;

(ख) माता–पिता / संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;

(म) वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां बालक (छह वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है;

(घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक को प्रवेश दिया जाता है;

(ङ) बालक का वर्तमान पता;

(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है, तो ऐसे जारी म रहने का कारण;

(छ) क्या बालक कमजोर वर्ग का है;

(ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है;

(झ) क्या बालक (1) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (2) आयु अनुसार समुचित प्रवेश; और (3) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित समस्त बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए है।

Date: 14.09.2016

भाग पॉच–विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

11. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश.– (1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध में, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 6 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट आसपास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिए गए प्रवेशों को लागू होगी।

परंतु विद्यालय, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।

12. समुचित सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय की प्रतिपूर्ति.– (1) समुचित सरकार द्वारा सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (एक) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों की बाबत प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, समुचित सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति बालक व्यय होगा।

स्पष्टीकरण- प्रति बालक व्यय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (दो) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

13. आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज.– जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहॉ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख;

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;

(ग) माता–पिता या संरक्षक व्दारा बालक की आयु की शपथपत्र के द्वारा घोषणा।

14. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि.– (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

15. विद्यालय को मान्यता.– (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किया गया, केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ के तीन मास की अवधि के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संन्नियमों और मानकों के उसके व्दारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्ररूप सं.1 में एक स्वघोषणा करेगा, अर्थात्:–

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं;

(ख) विद्यालय, किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है;

(ग) विद्यालय, संविधान में प्रतिस्थापित आदर्शों के अनुरूप है;

(घ) विद्यालय, भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं;

(ङ) विद्यालय, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है;

(च) विद्यालय, समय–समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिनकी अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं, जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(2) प्ररूप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी उप–नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर उन विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण कराएगा जो प्ररूप संख्या 1 में दावा करते हैं।

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् , निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 2 में मान्यता प्रदान की जाएगी।

(5) वे विद्यालय जो उप–नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से

सूचीबद्ध किए जाएंगे, ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से इस प्रकार अगले ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे, ताकि ऐसी अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो।

(6) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के पश्चात् उप–नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं है, कार्य करना बंद कर देंगे।

(7) केन्द्रीय सरकार तथा समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की गई है, वे इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के क्रम में उप–नियम (1) में उल्लिखित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होंगे।

16. विद्यालय की मान्यता वापस लेना.– (1) जहां जिला शिक्षा अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 15 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, तो वह निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा:–

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना;

(ख) स्पष्टीकरण के समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में, उक्त अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कराएगा, जो तीन या पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शिक्षाविद्, सिविल समाज के प्रतिनिधि, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो सम्यक् जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित उक्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

(ग) उक्त अधिकारी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

परंतु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा और वह निकट के ऐसे विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें मान्यता वापस लिए गए विद्यालय के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

17. न्यूनतम अर्हताएं.— (1) राज्य सरकार, नियत तारीख के एक मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिकथित करने हेतु एक शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी।

(2) उप—नियम (1) के अनुसरण में अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर किसी प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिकथित करेगा।

(3) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का शिथिलीकरण.— (1) राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के भीतर धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के लिए अनुसूची में मानदंडों के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगी।

(2) जहां किसी राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या नियम 17 के उप—नियम (2) के अन्तर्गत यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उप—नियम (1) के अधीन प्राक्कलित अध्यापकों की आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उप—नियम (2) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य सरकार के अनुरोध की परीक्षा करेगी और अधिसूचना द्वारा, न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल कर सकेगी।

(4) उप—नियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना में शिथिलीकरण की प्रकृति और तीन वर्ष से अनधिक की समयावधि, किन्तु जो अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष के परे नहीं होगी, विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसके भीतर शिथिल की गई शर्तों के अधीन नियुक्त किए गए अध्यापक धारा 23 की उप—धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित करेंगे।

(5) अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के पश्चात्, किसी विद्यालय के लिए अध्यापक की कोई नियुक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जिसके पास नियम 17 के उप—नियम (2) में अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, उप—नियम (3)) में निर्दिष्ट शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जाएगी।

(6) अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कम से कम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य से अन्यून शैक्षणिक अर्हता धारण करनी चाहिए।

19. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना.— (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रारंभ के समय, उप—नियम (एक) में निर्दिष्ट विद्यालयों में और धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (तीन) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा

प्रबंधित विद्यालयों में, सभी अध्यापकों, जिनके पास नियम 17 के उप–नियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (दो) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय तथा धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खंड (तीन) में निर्दिष्ट विद्यालय, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित नहीं है, में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ के समय नियम 17 के उप–नियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन, ऐसे शिक्षक को अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने में समर्थ बनायेगा।

20. अध्यापकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें.– (1) यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, अध्यापकों का वृत्तिक और स्थायी संवर्ग सृजित करने के क्रम में उनके स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित करेगा।

(2) विशिष्टतया और उप–नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:–

(क) अध्यापकों की विद्यालय प्रबंध समिति को जवाबदेही;

(ख) शक्षणिक वृत्ति में अध्यापकों के दीर्घावधि तक बने रहने के समर्थकारी उपबंध।

21. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य.– (1) अध्यापक एक फाइल संधारित करेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा जो प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने के लिए प्रमाण पत्र देने हेतु आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उप–धारा (1) के खंड (क) से खंड (ड.) तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्त्तव्यों का अनुपालन कर सकेंगे:–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना,

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना।

22. शिष्य-अध्यापक अनुपात बनाए रखना.– (1) किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, नियत तारीख के तीन मास की कालावधि के भीतर अधिसूचित की जाएगी।

परंतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अधिूसचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाएगी।

(2) यदि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति, धारा 25 की उप–धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगा/होगी।

भाग सात– पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना

23. शैक्षणिक प्राधिकारी.– (1) राज्य सरकार, नियत तारीख के एक माह के भीतर, धारा 29 के प्रयोजन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करेगा।

(2) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय, उप–नियम (1) के अधीन शैक्षिक प्राधिकारी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्–

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा,

(ख) सेवा तथा पूर्व सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा, और

(ग)निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

(3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी, नियमित्त आधार पर संपूर्ण विद्यालय गुण निर्धारण की प्रक्रिया, डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

24. प्रमाण पत्र प्रदान करना.– (1) प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र, विद्यालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा।

भाग आठ–बाल अधिकारों का संरक्षण

25. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन.– राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।

26. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति– राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को रजिस्टर करने के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनीटर की जा सकेगी।

27. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन.– (1) वह समुचित सरकार जिसका कोई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है, तुरंत ऐसे आयोग की स्थापना के लिए कदम उठा सकेगी।

(2) जब तक समुचित सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करे तब तक वह अधिनियम के प्रारंभ से छः मास के भीतर धारा 31 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक अंतरिम प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईपीए कहा गया है) का गठन करेगी या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगी, जो भी पूर्वतर हो।

(3) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आरईपीए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्

(क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, और

(ख) दो सदस्य, जिनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक महिला होगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य हैं, और जिनको निम्नलिखित में अनुभव है-

(एक) शिक्षा

(दो) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास,

(तीन) किशोर न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल देखभाल,

(चार) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य करना,

(पांच) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र,

(छः) विधिक वृत्ति

(4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 जहां तक उनका संबंध निबंधनों और शर्तों से है यथावश्यक परिवर्तन सहित आरईपीए के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को लागू होंगे।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात् आरईपीए की सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जाएंगी।

(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए यथास्थिति, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट विषयों पर भी कार्यवाही कर सकेगा।

(7) समुचित सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में यथास्थिति संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।

8 **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति.**— राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरईपीए कहा गया है) यथास्थिति, एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों की रजिस्टर करेगी जिसे उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनीटर किया जा सकेगा।

9. **राज्य सलाहकार परिषद् का गठन.**— (1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य शासन के शालेय शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जो निम्नानुसार हैं।

(क) चार सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं।

(ख) दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो,

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा,

(घ) दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हैं।

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे-

(एक) प्रभारी साचिव, स्कूल शिक्षा

(दो) प्रभारी सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग

(तीन) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

(चार) सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण

(पांच) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(च) सभी सदस्यों में एक तिहाई महिलाएं होंगी।

(छ) सचिव, परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(4) परिषद् , अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

30. राज्य सलाहकार समिति के कृत्य.– (1) राज्य सलाहकार समिति सलाहकार हैसियत में कृत्य करेगी।

(2) राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित एक या अधिक कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:–

(क) पुनर्विलोकन,

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंड और मानक,

(दो) अध्यापक निर्रहताओं और प्रशिक्षणों का अनुपालन और

(तीन) धारा 29 का कार्यान्वयन

(ख) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान आरंभ करना।

(ग) राज्य सलाहकार परिषदों के साथ समन्वयन करना।

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, अभियान चलाने और सकारात्मक वातावरण तैयार करने में जनता और मीडिया तथा केन्द्र सरकार के बीच तथा राज्य सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् उसके द्वारा किए गए पुनर्विलोकनों, अध्ययनों और अनुसंधान के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विलियम कुजूर)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्ररूप एक

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्व घोषणा सह आवेदन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 15 के उप–नियम (1) देखिए

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(जिला और राज्य का नाम)

महोदय,

मैं एतद्द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में स्वःघोषणा और ....(विद्यालय का नाम) को .....वर्ष 20..... विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्ररूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नकः

भवदीय

स्थानः

तारीखः

प्रबंध समिति का अध्यक्ष/प्रबंधक

क. विद्यालय के ब्यौरे

1 विद्यालय का नाम
2 शैक्षणिक सत्र
3 जिला
4 डाक का पता
5 ग्राम/शहर
6 तहसील
7 पिन कोड
8 फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित
9 फैक्स नं.
10 ई.मेल पता यदि हो तो
11 निकटतम पुलिस थाना

ख. सामान्य जानकारी

1 स्थापना का वर्ष
2 विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि
3 न्यास/सोसायटी/प्रबन्ध समिति का नाम
4 क्या न्यास/सोसायटी/प्रबन्ध समिति पंजीकृत है ?
5 न्यास/सोसायटी/प्रबन्ध समिति की पंजीकरण की वैधता अवधि
6 क्या न्यास/सोसायटी/प्रबन्ध समिति के गैर स्वामित्व की प्रकृति का कोई सबूत है जो शपथ पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो
7 विद्यालय के प्रबन्धन समिति के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम तथा कार्यालयीन पता
नाम
पद
पता
फोन नं. कार्यालय
निवास
8 विगत तीन वर्षों के दौरान कुल आय तथा व्यय आधिक्य/कमी

वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य/कमी

ग. विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्र

1 शिक्षण का माध्यम
2 विद्यालय का प्रकार (प्रवेश और अंतिम कक्षा दर्शायें)
3 यदि अनुदान प्राप्त हो तो, एजेंसी का नाम और अनुदान का प्रतिशत
4 यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त है
5 यदि हाँ तो किस प्राधिकारी से
• मान्यता क्रमांक
6 क्या विद्यालय के पास स्वयं का भवन है या किराये के भवन में संचालित है

7 क्या विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है ?

8 विद्यालय का कुल क्षेत्रफल

9 विद्यालय का निर्मित क्षेत्र

घ. नामांकन प्रस्थिति

	कक्षा	सेक्शनों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	पूर्व प्राथमिक		
2	एक से पांच		
3	छः से आठ		

ङ. अवसंरचना के व्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं

	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1	अध्यापन कक्ष		
2	कार्यालय कक्ष–सह–भंडार कक्ष–सह–प्राध्यापक कक्ष		
3	रसोई सह–भण्डार		

च. अन्य प्रसुविधाएं

1 क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुँच है –

2 अध्ययन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)

3 क्रीड़ा एवं खेल उपस्कर (सूची संलग्न करें)

4 पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा
- पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)
- पत्रिकाएं/समाचार पत्र

5 पेयजल सुविधा का प्रकार एवं संख्या

6 स्वच्छता संबंधी दशाएं

(एक) डब्ल्यू. सी. और मूत्रालयों का प्रकार

(दो) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों/शौचालयों की संख्या

(तीन) बालिकाओं के लिए पृथक मूत्रालयों/शौचालयों की संख्या

छ. अध्यापन कर्मचारीवृन्द (टीचींग स्टॉफ) की विशिष्टियां

1. केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में पढ़ाने वाले (प्रत्येक शिक्षक का पृथक विवरण)			
	शिक्षक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि
	(1)	(2)	(3)
	शैक्षणिक योग्ता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव
	(4)	(5)	(6)
	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
	(7)	(8)	(9)

2. केवल प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में पढ़ाने वाले (प्रत्येक शिक्षक का विवरण)			
	शिक्षक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि
	(1)	(2)	(3)
	शैक्षणिक योग्ता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव
	(4)	(5)	(6)
	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
	(7)	(8)	(9)
3. प्रधान पाठक			
	शिक्षक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि
	(1)	(2)	(3)
	शैक्षणिक योग्ता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव
	(4)	(5)	(6)
	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
	(7)	(8)	(9)

ज. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम

1 प्रत्येक कक्षा (आठवीं तक) में अपनायी गई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का विवरण

2 छात्र मूल्यांकन की पद्धति

3 क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्ष आठवीं तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?

झ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैपचर फॉर्मेट में भी सूचना (जानकारी) प्रस्तुत की है ।

ञ. प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु विद्यालय खुले रहेंगे ।

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबन्ध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं (जानकारी) प्रस्तुत करेगा जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

ठ. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख, किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनाएं (जानकारी)

प्रस्तुत करेगा जो केन्द्र और/या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/राज्य विधानसभा/पंचायत/नगरपालिक निगम के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्थान :–

हस्ताक्षरित
अध्यक्ष / प्रबन्धक
प्रबन्ध समिति
..... विद्यालय

प्ररूप–दो

ग्राम :– फोन :–

ई.मेल :– फैक्स :–

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

(जिला/राज्य का नाम)

क्र. दिनांक

प्रबन्धक,

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख ..... के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मैं ..... (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख ..... से ..... तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा ..... से ..... तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के .... प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने

तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूननतम अर्हताएं नही है 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे ।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :

    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
    कुल निर्मित का क्षेत्र
    खेल के मैदान का क्षेत्रफल
    कक्षाओं की संख्या
    प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष
    बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
    पेयजल सुविधा
    मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
    बाधारहित पहुँच
    अध्यापन पठन् सामग्री/कीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलो का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ..... है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन की सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the State Government hereby makes the following rules, namely :

RULES

PART I – PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) These Rules may be called the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(b) "Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;

(c) "Appointed date" means the date on which the Act comes into force, as notified in the Official Gazette;

(d) "District Education Officer" means an officer of the appropriate Government in charge for elementary education in a district;

(e) "Pupil Cumulative Record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;

(f) "School mapping" means planning school location for the purpose of section 6 of the Act to overcome social barriers and geographical distance.

(2) All references to "forms" in these Rules shall be construed as references to forms set out in Appendix I hereto.

(3) All other words and expressions used here in and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

3. **Composition and functions of the School Management Committee.-**

(1) A School Management Committee (hereinafter in this rule referred to as the said Committee) shall be constituted in every school, other than an unaided school, within six months of the appointed date, and reconstituted **every year. School Education Committee shall be constituted by state Government or authorized authority.**

(2) Seventy five percent of the strength of the School Management Committee shall be from amongst parents or guardians of children.

(3) The remaining twenty five percent of the strength of the Said Committee shall be from amongst the following persons

(i) one third members from amongst the elected members of the local authority, to be decided by the local authority;

(ii) one third members from amongst teachers from the school, to be decided by the teachers of the school;

(iii) one third from amongst local educationists or children in the school, to be decided by the parents in the Said Committee;

(iv) the School Management Committee shall have 50 female members including clauses (i), (ii), (iii) and (iv).

(4) To manage its affairs, the said Committee shall elect a Chairperson and Vice Chairperson from among the parent members. The Head teacher of the school or where the school does not have a head teacher, the senior most teacher of the school, shall be the ex-officio Member-Convener of the Said Committee.

(5) The said Committee shall meet at least once a month and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

(6) The Said Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of Section 21, perform the following functions namely :-

(a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighborhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the appropriate Government, local authority, school, parent and guardian;

(b) ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24, and of section 28;

(c) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27;

(d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighborhood in the school;

(e) monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;

(f) bring to the notice of the local authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per sub-section 2 of section 3;

(g) identify the needs, prepare a Plan, and monitor the implementation of the provisions of Section 4;

(h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for learning by disabled children, and ensure their participation in, and completion of elementary education;

(i) monitor the implementation of the mid-day meal in the school;

(j) Prepare an annual account of receipts and expenditure of the school.

(7) Any money received by the said Committee for the discharge of its functions under this Act, shall be kept in a separate account, to be audited annually.

(8) The accounts referred to in clause (j) to sub-rule (6) and in sub-rule (7) should be signed by the Chairperson or vice-chairperson and Convener of the said Committee and made available to the local authority within one month of their preparation.

4. **Preparation of School Development Plan.**- (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

(2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub plans.

(3) The School Development Plan, shall contain the following details, namely :–

(a) estimates of class-wise enrolment for each year;

(b) requirement, of the number of additional teachers, including Head Teachers, subject teachers and part time instructors, separately for Classes I to V and classes VI to VIII, calculated, with reference to the norms specified in the Schedule of the Act;

(c) physical requirement of additional infrastructure and equipments over the three year period, calculated, with reference to the norms and standards specified in the Schedule of the Act;

(d) financial requirement in respect of (b) and (c) above, including for providing special training facility specified in section 4, entitlements of children such as free text books and uniforms, and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the chairperson or vice-chairperson and convener of the School Management Committee and submitted to the local authority before the end of the financial year in which it is to be prepared.

PART III – RIGHT TO CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

5. Special Training.- (1) The School Management Committee of a school owned and managed by the appropriate Government or local authority shall identify children requiring special training and organize such training in the following manner, namely:-

(a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority specified in sub-section (1) of section 29;

(b) the said training shall be provided in classes held on the premises of the school, or in classes organized in safe residential facilities ;

(c) the said training shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose;

(d) The duration of the said training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress for maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age pappropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

PART IV – DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CENTRAL GOVERNMENT, APPROPRIATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

6. **Areas or limits of neighbourhood.**- (1) The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the State Government or local authority shall be :-

(a) in respect of children in classes I - V, a school shall be established within a walking distance of one kilometer of the neighborhood;

(b) in respect of children in classes VI - VIII, a school shall be established within a walking distance of three km of the neighborhood.

(2) Wherever required, the appropriate Government or the local body shall upgrade existing schools with classes I - V to include classes VI – VIII. In respect of schools which start from class VI onwards, the appropriate Government or the local body shall endeavour to add classes I–V, wherever required.

(3) In places with difficult terrain, risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach from their homes to the school, the appropriate Government or Local Authority shall locate the school in such a manner as to avoid such dangers, by reducing the limits specified under sub-rule (1).

(4) For children from small hamlets, as identified by the appropriate Government or local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1) the appropriate Government or local authority shall make adequate arrangements, such as free transportation and residential facilities, for providing elementary education in a school, in relaxation of the areas or limits specified in the said rule.

(5) In places with high population density, the appropriate Government or local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such places.

(6) The local authority shall identify the neighbourhood school(s) where children can be admitted and make such information public for each habitation.

(7) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school the appropriate Government or local authority shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements for them to attend school and complete elementary education.

(8) The appropriate Government or local authority shall ensure that access of children to the School is not hindered on account of social and cultural factors.

Financial Responsibility of the State Government for the resources made available by Central Government.- (1) The **State Government** shall prepare annual estimates of capital and recurring expenditure for carrying out the provision of the Act, for a period of five years, within one month of the

appointed date, which may be reviewed for every three years.

(2) In order to implement the provisions of the Act, the **State** Government shall, within a period of six months of the appointed date, ensure that its programmes for elementary education are in conformity with the provisions of the Act.

(3) The **State** Government shall, within a period of six months from the appointed date, hold consultation with the **local authority** and determine the percentage of expenditure which it shall provide to the **local authority** as grants-in-aid of revenues for implementation of the Act.

(4) The **State Government** shall set up an alternative mechanism for the purpose of getting resources from Central Governments, for the implementation.

8. **Academic responsibility of the State Government.-** (1) The State Government shall notify state council of educational research and training an academic authority within one month of the appointed date for development of the framework of state curriculum.

(2) The State Government shall in consultation with the central Government and such other academic authorities it may consider necessary, prepare a Scheme (s) for enabling the State Government to provide pre-service and in-service training of teachers in respect of schools specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (n) of section 2 of the Act, including a monitoring mechanism in accordance with the standards of training.

9. **Responsibilities of the appropriate Government and local authority.-** (1) A child attending a school of the appropriate Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of Section 2, a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of Section 2 in accordance with clause (b) of sub section (1) of Section 12, and a child attending a school referred to in sub-section (1) of Section 12 shall be entitled to free text books, Writing materials and uniforms:

Provided that a child with disabilities shall be entitled also for free special learning and support material.

Explanation- For the purposes of sub-rule (1), it may be stated that in respect of the child admitted in accordance with clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and a child admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of Section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of Section 2 and of sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of Section 2, respectively.

(2) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood schools, the appropriate government or local authority shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disabilities, children belonging to disadvantage d groups, children belonging to weaker sections and children referred to in section 4, within a period of one year from the appointed date, and every year thereafter.

(3) The appropriate government or local authority shall ensure that no child is subjected to caste, Class, religious or gender abuse in the school.

(4) For the purposes of clause (c) of Section 8 and clause (c) of Section 9, the appropriate government and the local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

10. **Maintenance of records of children by the local authority.-** (1)The local authority shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years.

(2) The record, referred to in sub-rule (1), shall be updated annually.

(3) The record, referred to in sub-rule (1), shall be maintained transparently, in the public domain and used for the purposes of clause (e) of Section 9.

(4) The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, include-

(a) name, sex, date of birth, place of birth;
(b) names, address, occupation of Parent / guardian ;
(c) pre-primary school/Anganwadi centre that the child attends (up to a age 6);
(d) elementary school where the child is admitted;
(e) present address of the child;
(f) class in which the child is studying (for children between age 6-14), and if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance;
(g) whether the child belongs to the weaker section;
(h) whether the child belongs to a disadvantaged group;
(i) whether the child requires special facilities or residential facilities on account (i) of migration and sparse population; (ii) age appropriate admission; (iii) disability.

(5) The local authority shall ensure that the names of all children enrolled in the schools are publicly displayed in each school.

PART V – RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

11. **Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group .-** (1) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Act shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The school referred to in clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and ICT facilities, extra-curricular and sports.

(3) The area or limits of neighbourhood specified in sub-rule (1) of rule 6 shall apply to admissions made in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12.

Provided that the schools may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12, extend these area or limits with the prior approval of the appropriate Government.

12. **Reimbursement of per-child-expenditure by the appropriate Government.-** (1) The total annual recurring expenditure incurred by the appropriate Government from its own funds, or funds provided by the Central Government and by any other authority, on elementary education in respect of all schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per-child expenditure incurred by the appropriate Government.

Explanation - For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the appropriate Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(2) Every school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of Section 12.

13. **Documents as age proof.-** Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 (6 of 1886) is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools –

(a) Hospital / Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record
(b) Anganwadi record
(c) Declaration through an affidavit of the age of the child by the parent or guardian

14. **Extended period of admission .-** (1) Extended period of admission shall be six months from the date of commencement of the academic year of a school.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head teacher of the school.

15. **Recognition to school.**- (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government **appropriate Government or local authority,** established before the commencement of this Act shall make a self declaration within a period of three months of the commencement of the Act, in Form No. 1 to the concerned District Education Officer regarding its compliance or otherwise with the norms and standards prescribed in the Schedule and the following conditions, namely:-

(a) the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;

(b) the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;

(c) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;

(d) the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;

(e) the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate Government or the local authority;

(f) the school furnishes such reports and information as may be required from time to time and complies with such instructions of the State Government or local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

(2) Every self declaration received in Form 1 shall be placed by the District Education Officer in public domain within fifteen days of its receipt.

(3) The District Education Officer shall within three months of the receipt of the self declaration cause on-site inspection of such schools which claim in Form No. 1 to fulfill the norms and standards and the conditions mentioned in sub- rule (1).

(4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed by the District Education Officer in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the District Education Officer in Form No. 2 within a period of 15 days from the date of inspection.

(5) Schools that do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be listed by the District Education Officer through a public order to this effect, such schools may request the District Education Officer for an on-site inspection for grant of recognition at any time within the next two and a half years, so that such period does not exceed three years from the commencement of the Act.

(6) Schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub rule (1) after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(7) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government and appropriate Government or local authority established after the commencement of this Act shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition under this rule.

16. **Withdrawal of recognition to school.-** (1) Where the District Education Officer (hereinafter in this rule referred to as the said Officer) on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 15, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards prescribed in the Schedule, he shall Act in the following manner:-

(a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month;

(b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the said Officer may ca use an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three to five members comprising of educationists, civil society representatives, media, and government representatives, which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the said Officer;

(c) on receipt of the report and recommendations of the Committee, the said Officer may pass order for withdrawal of recognition.

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed by the said Officer without giving the school adequate opportunity of being heard:

Provided further that no such order shall be passed by the said Officer without prior approval of the appropriate Government.

(2) The order of withdrawal of recognition passed by the said Officer shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighborhood schools to which the children of the de-recognized schools shall be admitted.

PART VI – TEACHERS

17. **Minimum qualifications.-** (1) The State Government shall, within one month of the appointed date, notify an academic authority for laying down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher.

(2) the academic authority notified in pursuance of sub-rule (1), shall, within three months of such notification, lay down the minimum qualifications for persons to be eligible for appointment as a teacher in an elementary school.

(3) The minimum qualifications laid down by the academic authority referred to in sub-rule (1), shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2.

18. **Relaxation of minimum qualifications.-** (1) The State Government shall within six months from the commencement of the Act estimate the teacher requirement as per the norms in the Schedule for all schools referred to in clause (n) of Section 2.

(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or persons possessing minimum qualifications as laid down under sub-rule (2) of rule 17 are not available in sufficient numbers in relation to the requirement of teachers estimated under sub-rule (1), the State Government shall request, within one year of the commencement of the Act, the Central Government for relaxation of the prescribed minimum qualification.

(3) On receipt of the request referred to in sub-rule (2), the Central Government shall examine the request of the State Government and may, by notification, relax the minimum qualifications.

(4) The notification referred to in sub-rule (3) shall specify the nature of relaxation and the time period, not exceeding three years, but not beyond five years from the commencement of the Act, within which the teachers appointed under the relaxed conditions acquire the minimum qualifications specified by the academic authority notified under sub-section (1) of section 23.

(5) After six months from the commencement of the Act, no appointment of teacher for any school can be made in respect of any person not possessing the minimum qualifications notified in sub-rule (2) of rule 17, without the notification of relaxation referred to in sub-rule (3).

(6) A person appointed as a teacher within six months of the commencement of the Act, must possess at least the academic qualifications not lower than higher secondary school certificate or equivalent.

19. **Acquiring minimum qualifications .-** (1) The State Government shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools refereed to in sub-rule (i), and school owned and managed by the Central Government or the State Government or Union territory or local authority under sub-clause (iii), of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down, under sub-rule (2), of rule 17, at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

(2) For a teacher, of a school, referred to in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, and of a school referred to in sub-clause (iii) of clause (n) of section 2 not owned and managed by the Central Government, State Government or Union Territory or local authority, who does not possess the minimum qualifications laid down under sub rule (2) of Rule 17, at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

20. **Salary and allowances and conditions of service of teachers.-** (1) The appropriate Government or the local authority, as the case may be, shall notify terms and conditions of service and salary and allowances of teachers of schools owned and managed by them in order to create a professional and permanent cadre of teachers.

(2) In particular and without prejudice to sub-rule (1) the terms and conditions of service shall take into account the following, namely :-

(a) accountability of teachers to the Schools Management Committee ;

(b) Provisions enabling long term stake of teachers in the teaching profession.

21. **Duties performed by teachers.-** (1) The teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child which will the basis for the awarding the certificate for completion of elementary education.

(2) A teacher, in addition to the functions specified in clause (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, may perform the following duties:-

(a) Participation in training programmes;

(b) Participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and text book development.

22. **Maintaining pupil-teacher ratio.-** (1) The sanctioned strength of teachers in a school shall be notified by the State Government or the local authority, as the case may be, within a period of three months of the appointed date:

Provided that the State Government or the local authority, as the case may be, shall, within three months of such notification, redeploy teachers of schools having a strength in excess of the sanctioned strength prior to the notification referred to in sub-rule (1).

(2) If any person of the appropriate Government or the local authority violates the provisions, of sub-section (2) of Section 25, he or she shall be personally liable for disciplinary action.

PART VII – CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

23. **Academic authority.-** (1) The State Government shall notify the State Council of Educational Research and Training, as the academic authority for the purposes of section 29, within one month of the appointed date.

(2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority State Council of Educational Research and Training notified under sub-Rule (1) shall.-

(a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material

(b) develop in-service and pre service teacher training design; and

(c) prepare guidelines for putting in to praetice continuous and comprehensive evaluation.

(3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a proeess of holistic school quality assessment on a regular basis

24. **Award of certificate.-** (1) The Certificate of completion of Elementary Education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education.

(2) The Certificate referred to in sub-rule (1) shall contain the pupil Cumulative record of the child.

PART VIII – PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

25. **Performance of functions by the State Commission for Protection of Child Rights.-** (1) State Government shall provide resource support to the State Commission for Protection of Child Rights in performance of its functions under the Act.

26. **Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights.-** The State Commission for Protection of Child Rights may set up a child helpline to register complaints regarding violation of rights of child under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

27. **Performance of function by the State Commission for Protection of Child Rights.-** (1) An appropriate Government which does not have a State Commission for Protection of Child Rights, may take immediate steps to set up such Commission.

(2) Till such time as the appropriate Government sets up the state for protection of Child Right, it shall constitute an interim authority known as the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as the REPA) for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of Act or the constitution of the State Commission for Protection of Child Rights, whichever is earlier.

(3) The Right to Education Protection Authority (REPA) shall consist of the following, namely:–

(a) a chairperson who is a person of high academic repute or has been a High Court Judge or has done outstanding work for promoting the rights of children; and

(b) two Members, of whom at least one shall be a woman, from the following areas, from amongst persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in –

(i) education;

(ii) child health care and child development;

(iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities;

(iv) elimination of child labor or working with children in distress;

(v) child psychology or sociology; or

(vi) legal profession.

(4) The National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 shall, so far as pertains to the terms and conditions, mutatis mutandis apply to Chairperson and other Members of the REPA.

(5) Immediately after its constitution to the State Commission for Protection of Child Rights all records and assets of the REPA shall be transferred.

(6) In performance of its functions, the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, may also act upon matters referred to it by the State Advisory Council.

(7) The appropriate Government shall provide resource support to the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, in performance of its functions under the Act.

28. **Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights.**- (1) The State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as REPA) as the case may be, may set up a child help line, which would register complaint regarding violation of rights under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

29. **Constitution of the State Advisory Council.**- (1) The State Advisory Council (hereinafter in referred to in this rule as the Council) shall consist of a Chairperson and fourteen Members.

(2) The Minister in-charge of the School Education in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the Council.

(3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under-

(a) four members should be from amongst persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities;

(b) two member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member should be from amongst persons having specialized knowledge in the field of pre-primary education;

(d) two members should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;

(e) the following shall be ex-officio members of the Council :-

i. Secretary in charge of School Education;

ii. Secretary in charge of Tribal Welfare Department;

iii. Director of State Council of Educational Research and Training;

iv. Secretary, State Literacy Mission Authority;

v. Chairperson, State Commission for Protection Child Right.

(f) one third of all members shall be women;

(g) the Secretary shall be ex-offico Member Secretary of the Council;

(4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Department as required.

30. **Function of the State Advisory Council.**- (1) The State Advisory Council shall Function in an advisory capacity.

(2) The State Advisory Council shall perform one or more of the following function, namely :-

(a) review-

I. norms and standards specified in the Schedule ;

ii. compliance with teacher qualifications and trainings; and

iii. implementation of section 29.

(b) commission studies and research for the effective implementation of the Act;

(c) coordinate with the State Advisory Councils;

(d) act as an interface between the public and the media and the Central Government in creating awareness, mobilization, and a positive environment for the implementation of the Act.

(3) The State Advisory Council shall prepare reports relating to the reviews, studies and research undertaken by it and furnish the same to the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(William kujur)
Deputy Secretary
Govt of Chhttisgarh
School Education Department

APPENDIX

FORM I

SELF DECLARATION CUM APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL

See sub-Rule (1) of Rule 15 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rule, 2009

To

The District Education Officer
(Name of District & State)

Sir,

I forward herewith with a self declaration regarding compliance with the norms and standards prescribed in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to ..... (Name of the school) ..... With effect from the commencement of the school year 20.....

Yours faithfully,

Enclosure:

Place:

Date:

Chairman of Managing Committee/Manager

A. School Details

1. Name of School
2. Academic Session
3. District
4. Postal Address
5. Village/City
6. Tahsil
7. Pin Code:
8. Phone No. with STD Code
9. Fax No.
10. E-mail address if any
11. nearest Police Station

B. General Information

1. Year of Foundation
2. Date of First Opening of School
3. Name of Trust/Society/Managing Committee
4. Whether Trust/Society/Managing Committe e/ is registered
5. Period upto which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid
6. Whether there is a proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy
7. Name official address of the Manager/President/C/Chairman of the School

   Name

   Designation

   Address (O).....

   Phone (R) .....
8. Total Income & Expenditure during last 3 years surplus/deficit Year Income Expenditure Surplus/deficit

C. Nature and area of School

1. Medium of Instruction
2. Type of School (Specify entry & exit classes)
3. If aided, the name of agency and percentage of a
4. If School Recognized
5. If so, by which authority Recognition number
6. Does the school has its own building or is it running in a rented building.
7. Whether the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purpose of education and skill development?
8. Total area of the school
9. Built in area of the school

D. Enrollment Status

	Class	No. of Section	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I – V		
3.	VI – VIII		

E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions

	Room	Numbers	Ave rage Size
1.	Classroom		
2.	Office room – cum – Store Room – c um – Headmaster Room		
3.	Kitchen – Cum – Store		

F. Other Facilities

1. Whether all facilities have barrier free access
2. Teaching Learning Material (attach list)
3. Sports & Play equipments (attach list)
4. Facility books in Library
   Books (No. of books)
   Periodical/Newspapers
5. Type and number of drinking water facility
6. Sanitary Conditions
   (i) Type of W.C. & Urinals
   (ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for boys
   (iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls

G. Particulars of Teaching Staff

1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)

	Teacher Name	Father/Spouse Name	Data of Birth
	(1)	(2)	(3)
	Academic Qualification	Professional Qulification	Teaching Experience
	(4)	(5)	(6)
	Class Assigned	Appointment Date	Trained ou Untrained
	(7)	(8)	(9)

2. Teaching in Both Elementary and Secondary (Details of each teacher separately)

	Teacher Name	Father/Spouse Name	Data of Birth
	(1)	(2)	(3)
	Academic Qualification	Professional Qulification	Teaching Experience
	(4)	(5)	(6)
	Class Assigned	Appointment Date	Trained ou Untrained
	(7)	(8)	(9)

3. Head Teacher			
	Teacher Name	Father/Spouse Name	Data of Birth
	(1)	(2)	(3)
	Academic Qualification	Professional Qulification	Teaching Experience
	(4)	(5)	(6)
	Class Assigned	Appointment Date	Trained ou Untrained
	(7)	(8)	(9)

H. Curriculum and Syllabus

1. Details of curriculum & syllabus followed in each class (up to VIII)
2. System of Pupil Assessment.
3. Whether pupils of the school are required to take any Boa rd exam up to class 8?

I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application.

J. Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority;

K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the District Education Officer as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;

L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be .open to inspection. by any officer authorized by the District Education Officer or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information a s may be necessary to enable the Central and / or State Government/ Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament /Legislative Assembly of the state/Panchayat/ Municipal Corporation as the case may be.

Place

Sd./-
Chairman/Manager,
Managing Committee
.....School
Place

Form II

Gram: **Phone:**
E-Mail: **Fax:**

OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER
(Name of District / State)

No. **Dated:**

The Manager,

Sub: Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 11of Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2009 for the purpose of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated _____and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional re cognition to the _____ (name of the school with address) for Class____to Class ____ for a period of three years with effect from____to____.

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII;
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure-I) and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2009 (Annexure-II);
3. The School shall admit in class I, (or in pre-school class, as the case may be), to the extent of--------% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion. Provided, further that in case of pre primary classes also, this norm shall be followed;
4. For the children referred to in paragraph 3, the School shall be reimbursed as per Section 12(2) of the Act. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account;
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure;

6. The School shall not deny admission to any child for lack of age proof. shall adhere to the provisions of section 15 of the Act. The School shall ensure-
   (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
   (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
   (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
   (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under Rule 25;
   (v) Inclusion of Students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
   (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided further that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications with in a period of 5 years;
   (vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act; and
   (viii) The teachers shall not engage him or her for private teaching activities.
7. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority;
8. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
   Area of school campus
   Total built up area
   Area of play ground
   No. of class rooms
   Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom
   Separate toilet for boys and girls
   Drinking Water Facility
   Kitchen for cooking Mid Day Meal
   Barrier free Access
   Availability of Teaching Learning Material /Play Sports Equipments /Library;
9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school;
10. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes education and skill development;
11. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;
12. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
13. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of

the Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year;

14. The recognition Code Number allotted to your school is ----------. This may please be noted and quoted for any correspondence with this office;
15. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ Local Authority as may be issued to se cure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
16. Renewal of Registration of Society if any is ensured;
17. Other conditions as per Annexure 'III' enclosed.

Yours faithfully,
District Education Officer

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III— खण्ड 4

PART III — Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932

No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 277,2009/BHADRA 5, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

फा. सं. 6103/2010/एनसीटीई (एन एंड एस)– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 750 (अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा से में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है :–

1. **न्यूनतम योग्यता —**

(i) कक्षा I-V

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र

में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा टी.ई.टी. में उत्तीर्ण]।

(i) कक्षा VI-VIII

(क) बी.ए./बी.एस.सी. और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अंक के साथ बी.ए./बी.एस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45% अंक के साथ बी.ए./बी.एस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एस.सी. एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा टी.ई.टी. में उत्तीर्ण]।

2. **अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम** — इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/

डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

3. **विशेष अनिवाय प्रशिक्षण** — वह व्यक्ति,

(क) जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एस.सी. और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले।

(ख) जिसके पास डी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. **इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक :—** इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यतां हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :–

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक।

किन्तु बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के अध्यांपकों या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) कक्षा I से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड.) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित 6-माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक।

5. **कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक** — इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियॉं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/10-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S).— In exercise of the powers conferred by Sub-setion (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No.S.O.750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Dvelopment, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification :—

1. Minimum Qualifications :—

(i) Classes I-V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senir Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002.

OR

Senir Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- year Bafchelor of Elementary Education (B.Ei.Ed.)

OR

Senir Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2- year Diploma in Education (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(ii) **Classes VI-VIII**

(a) B.A./B.Sc. and 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1- year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

B.A./B.Sc. with at least 45% marks and 1- year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 - Year Bachelor in Elementary Education (B.Ei.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- Year B.A./ B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1- Year B.Ed. (Special Educatio)

AND

(b) Pass in the Teacher Dligibility Tes (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

2. **Diploma/Degree Course in Teacher Education** — for the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher educationrecognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

3. **Training to be undergone** — A person,

(a) with B.A./B.Sc. with at least 50% marks and B.Ed. qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.

(b) with D.Ed. (Spedial Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recdognized 6-month special programme in Elementary Education.

4. Teacher appointed before the date of this Notification — The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above:—

(a) A Tacher appointe on or after th 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B.Ed. qulification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed. (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 - month special programme on elementary education.

(b) A teacher of clas I to V with B.Ed. qualification who has completed a 6-month Specil Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE;

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

5. Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases — where an appropriate Government, or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appoitments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qulifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT III/4/131/10-Exty.]

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the, ------------, 2010)

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Human Resource Development
(Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)
Department of School Education and Literacy
(School Shiksha Evam Saksharta Vibhag)

[illegible] 1004 [illegible] /
[illegible] 3/3/2010 2006

New Delhi, dated the 16th February, 2010

Notification

S.O.___(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

(Anita Kaul)
Joint Secretary to the Government of India
(F.No. 1-[illegible]3/2009-EE-4)

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad

Copy to:

1. All Ministries and Departments of Government of India
2. All Chief Secretaries of States and Union Territories
3. All Education Secretaries of States and Union Territories
4. All Bureau Heads in the Department of School Education & Literacy
5. All Bureau Heads in the Department of Higher Education.
6. PS to HRM
7. PS to MOS
8. Sr. PPS to Secretary (SE&L)

(Anita Kaul)
Joint Secretary to the Government of India

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the, ----------, 2010)

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Human Resource Development
(Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)
Department of School Education and Literacy
(School Shiksha Evam Saksharta Vibhag)

New Delhi, dated the 16th February, 2010

Notification

S.O.___(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

(Anshu Vaish)
Secretary to the Government of India
(F.No. 1-13/2009-EE-4)

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad

Copy to:

1. All Ministries and Departments of Government of India
2. All Chief Secretaries of States and Union Territories
3. All Education Secretaries of States and Union Territories
4. All Bureau Heads in the Department of School Education & Literacy
5. All Bureau Heads in the Department of Higher Education.
6. PS to HRM
7. PS to MOS
8. Sr. PPS to Secretary (SE&L)

(Anshu Vaish)
Secretary to the Government of India

भारत सरकार से जारी
दिशा निर्देश

F.No.1-1/2008-EE-4(Pt.I)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
******

New Delhi, 9th June, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Corrigendum in respect of section 19(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

The undersigned is directed to refer to the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 which was published in the Official Gazette on 27th August, 2009 and which has come into force with effect from 1st April, 2010.

2. A corrigendum in respect of Section 19(1) of the RTE Act has been published in the Official Gazette on 27th April, 2010 as under:-

Section 19(1) as published in Official Gazette on 27th August, 2009	Section 19(1) as per corrigendum published on 27th April, 2010
"No school shall be established, or recognized, under section 18, unless it fulfills the norms and standards specified in the Schedule."	"No school shall be established, or recognised under section 18, unless it fulfills the norms and standards specified in the Schedule."

3. A copy of the above mentioned corrigendum is enclosed for information and appropriate action.

Encl: as above

(Vikram Sahay)
Director
Telefax:23381470

All State Education Secretaries/UTs

F. No. 1-4/2010 - EE 4
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

Room No. 429-A, C Wing, Shastri Bhawan
New Delhi, 22nd June, 2010

To

All Education Secretaries of States/UTs

Subject : Guidelines under section 35(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 regarding implementation of the provisions of section 25(1) - reg.

Sir/Madam,

The Ministry has received representations from State Governments regarding implementation of the provisions of Section 25 (1) of the RTE Act. States have represented that in view of the large number of teacher posts required to be filled up in pursuance of the Pupil Teacher Ratio (PTR) specified in the Schedule to the Act, it may not be possible to complete the recruitment process within the time limit specified in Section 25(1).

2. The matter has been considered in the Ministry. For the purposes of maintaining the PTR under that Section, States may undertake two processes within a period of six months from the commencement of the Act, namely -

i. rationalise the deployment of existing teachers to address the problems of urban-rural and other spatial imbalances in teacher placements; and

ii. initiate the process of recruitment of new teachers to fill vacant posts as per the PTR stipulated in the Schedule.

3. The above Guidelines are issued in exercise of the powers conferred under section 35(1) of the RTE Act. These may be brought to the knowledge of all concerned.

4. This issues with the approval of the competent authority.

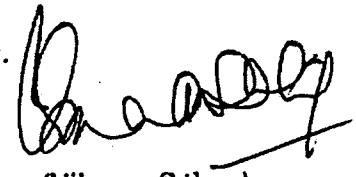

(Vikram Sahay)
Director
Telefax : 2338 1470

F.No. 21-5/2009-EE.XI
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy

New Delhi the 15th June, 2012

To,

Ms. L. Sweety. Changsan,
Mission Director,
Assam Sarva Shiksha Abhiyan Mission,
SSA & DPEP, Kahilipara,
Guwahati -781 019
ASSAM.

Subject: . . **Coverage of CWSN under SSA-. Right of Children to Free and Compulsory Education Act.**

Madam,

I am directed to refer to your letter no. SSA/IED/Prog. Imp/135/2006/pt /3242 dated 7th September 2011 on the subject mentioned above.

2. The position is clarified as under:-

Section 3 of the RTE Act says that "Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory education in a neighbourhood school till completion of elementary education". Section 3 of the Act also mentions.

Provided that a child suffering from disability, as defined in clause (i) of section 2 of the person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1996, shall have the right to pursue free and compulsory elementary education in accordance with the provisions of Chapter V of the said Act.

Hence, in case a child (including CWSN) above 14 years has not completed elementary education s/he would be covered by SSA – RTE as completion of elementary education would be give utmost importance.

3. In addition to RTE provision as mentioned above, point 3(i) of Hand Book for EGS & AIE clearly states that CWSN upto the age of 18 years will be covered. It is accordingly clarified that a CWSN who has not completed elementary education should be kept in the system upto the age of 18 years.

This issues with the approval of Additional Secretary (School Education).

Yours faithfully,

(SUSHIL KUMAR
Under Secretary to the Government of India
Tel No: 2338 66[illegible]
E-mail: vasudeva.sk1@gmail.com

Copy to: SPDs' of all States/UTs- for informaiton

F.No. 1-3/2010-EE-4
Government Of India
Ministry Of Human Resource Development
Department Of School Education & Literacy

Room No. 429-a. "C" Wing, Shastri Bhavan
New Delhi, Dated, 13th July 2012

Subject: **Guidelines under Section 35(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 in respect of Residential Schools – reg.**

The Hon'ble Supreme Court in para 13 of its judgement dated the 12th April, 2012 in WP (C) 95/2010 in the case of Society for Unaided Private Schools of Rajasthan Vs. Union of India and Anr . and similar writ petitions tagged along with directed that appropriate Guidelines under section 35 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 be issued clarifying its applicability to boarding or residential schools.

2. The aforementioned issue has arisen in the context of applicability of the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 on private unaided schools. In the said section it has been, inter alia, provided that children belonging to weaker section and disadvantaged group residing in the specified neighbourhood of the school have a right to be admitted therein to the extent indicated in the said clause and provided free and compulsory education till completion of elementary education. In respect of residential schools, however, the applicability of clause (c) of sub-section (1) of section 12 would be limited to day scholars, since only in respect of day scholars can the neighbourhood criterion apply.

3. The provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall not apply to the residential schools which start admitting children at classes higher than class I.

4. The aforementioned Guideline may be brought to the knowledge of all concerned for necessary compliance.

(Vikram Sahay)
Director
Telefax: 2338 1470
Email: vikramsahay7@gmail com.

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग से जारी
दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

आदेश रायपुर दिनांक 17 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 13–6/2009/20–2 / राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय /अशासकीय /अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों द्वारा बच्चों पर प्रताड़ना के संदर्भ में निम्नानुसार आदेश जारी करता है :–

1. शालाओं में अनुशासन एवं पढ़ाई के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक/ मानसिक प्रताड़ना न दी जाए ।
2. यदि कोई शिक्षक बच्चों को प्रताड़ित करता है,तो प्रताड़ना के स्वरूप के अनुसार एक सप्ताह की नोटिस देकर विभाग द्वारा लघुशास्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रताड़ना के प्रकार	दंड का स्वरूप
मृत्यु या गंभीर चोट लगने पर –	कानून के तहत कारावास या आर्थिक दण्ड अथवा दोनों
शिक्षक यदि बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है जैसे–स्केल से मारना,गाली देना, अपमानित करना,कपड़े उतरवाना, लड़कियों पर फिकरे कसना, अश्लील हरकते करना जिसकी वजह से बच्चे शाला त्यागी अथवा अनियमित उपस्थित होते है तो–	लघु शास्ति एवं अपील नियमानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता0
(बिबियाना तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक/विद्या/सी/शारीरिक प्रताड़ना/2009/459 रायपुर,दिनांक 27.7.09

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि अपने जिले अन्तर्गत उपरोक्त आदेश को प्रसारित कर पालन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय 27/7/09
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2/ रायपुर दिनांक 12.4.2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   समस्त जिला पंचायत
   छत्तीसगढ़
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़
4. समस्त सहायक आयुक्त
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग
   छत्तीसगढ़

विषयः–बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत् अधोसंरचना का आंकलन।

—0—

प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कम में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा शत्–प्रतिशत् 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जानी है। इसके अन्तर्गत् सभी शाला प्रवेशी, शाला त्यागी एवं विशेष प्रशिक्षण वाले बच्चे का चिन्हाकन किया जाना है। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर–घर सर्वेक्षण द्वारा सभी बच्चों का उनके जन्म से लेकर 14 वर्षो तक का अभिलेख सार्वजनिक रूप से संधारित करेंगे एवं इन अभिलेखों को पारदर्शीपूर्ण संधारित करते हुए प्रतिवर्ष अद्यतन रखा जाएगा। अभिलेख में प्रत्येक बच्चे संबंधी निम्न जानकारियां होंगी :–

इस अभिलेख में प्रत्येक बच्चो सम्बन्धी निम्न जानकारियाँ होंगी

(a) नाम, लिंग, जन्म तिथि (जन्म प्रमाणपत्र क्रमांक), जन्म स्थान
(b) माता – पिता/पालकों के नाम , पता, व्यवसाय
(c) 6 वर्ष आयु तक प्रवेशित पूर्व प्राथमिक शाला/आंगनबाड़ी केन्द्र
(d) प्रवेशित प्रारम्भिक विद्यालय
(e) बच्चे का वर्तमान पता
(f) यदि स्थानीय प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में बच्चे की शिक्षा अनियमित है तो ऐसे अनियमितता का कारण
(g) बच्चा कानून के अर्थ में कमजोर वर्ग अथवा सुविधावंचित समूह से है इसका विवरण

(i) पलायन और छितरे विरल जनसंख्या के कारण बच्चे की विशेष सुविधाओं/आवासीय सुविधाओं, आयु उपयुक्त प्रवेश, निःशक्तता का विवरण

स्थानीय प्राधिकरण उनके अधिकार क्षेत्र में विद्यालयों में प्रवेशित सभी बच्चों के नाम का प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगे।

2/ राज्य सरकार के द्वारा किसी सेवित क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करने का क्षेत्र या सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

(अ) कक्षा I-V में बच्चों के सम्बन्ध में बसाहट से एक किलोमीटर की पैदल दूरी के अन्दर विद्यालय स्थापित की जायेगी।

(ब) कक्षा VI-VIII में बच्चों के सम्बन्ध में बसाहट से तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के अन्दर विद्यालय स्थापित की जायेगी।

3/ कठिन प्राकृतिक संरचना वाले, भू—स्खलन की आशंका वाले, बाढ़ वाले, सड़कों की कमी वाले क्षेत्रों में विशिष्टीकृत सीमाओं को घटाते हुए ऐसे खतरों को दूर करने के लिए विद्यालय स्थापित की जा सकेगी।

4/ विभाग द्वारा नीजि विद्यालयों के लिए सेवा क्षेत्र का चिन्हांकन किया जावेगा जहाँ बच्चे प्रवेश ले सकेंगे और प्रत्येक सेवित क्षेत्र के लिए ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक की जावेगी। सूचना का प्रकाशन संबंधित विद्यालय, ग्राम पंचायत, नोडल अधिकारी के कार्यालय तथा विकासखण्ड स्थित कार्यालय में किया जावेगा।

5/ ऐसे बच्चे जिनकी निःशक्तता (विकलांगता) उन्हें विद्यालय पहुँचने से रोकती है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण उन्हें विद्यालय पहुँचने और प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए उचित और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करेगी, बच्चों के विद्यालय पहुँचने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का बाधक न होना सुनिश्चित की जावेगी।

6/ शासन अथवा अधिकृत स्थानीय प्राधिकरण किसी सेवा क्षेत्र के लिए समीप में विद्यालय का निर्धारण एवं स्थापना के उद्देश्य के लिए विद्यालय मैपिंग, सभी बच्चों का चिन्हांकन दूरस्थ क्षेत्र में बच्चों, निःशक्त बच्चों, सुविधा वंचित समूह के बच्चों, कमजोर वर्ग के बच्चों का निर्धारण एक वर्ष के भीतर एवं उसके बाद प्रतिवर्ष की जावेगी। विद्यालयों में किसी भी बच्चे के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग आधारित दुर्व्यव्हार न होना सुनिश्चित करने का दायित्व अधिकृत प्राधिकारी का होगा। कमजोर एवं वंचित समूह वर्ग के बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन, खेल के मैदान, पेयजल एवं शौचलय सुविधाएं एवं कक्षाओं की सफाई में भेदभाव या पक्षपात नही रखा जाएगा।

7/ शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित तिथि के 3 महीने की अवधि में उनके जिलों के लिए आवश्यक विद्यालयों के प्रस्ताव, सेवित क्षेत्र में विशिष्टिकृत एवं गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेशित जाने वाले छात्रों के व्यय की प्रतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंकलन करेंगे, साथ ही जिला शिक्षा स्थानीय प्राधिकारियों का यह भी दायित्व होगा, कि छात्रों की दर्ज संख्या में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात की गणना कर शिक्षकों की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव शासन को व्ययभार की गणना सहित प्रस्तुत करेंगे एवं अपने जिलों में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सभी व्यवस्थाओं को एवं उनके संचालन का सही ढंग से होने का उत्तरदायित्व होने के कारण व्यक्तिशः पहल सुनिश्चित करें।

8/ अतः निम्नांकित कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :—

1. जिले में सर्वे की प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण की जाए इस हेतु आवश्यक प्रपत्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया जावेगा।
2. प्रत्येक नीजि विद्यालयों के लिए सेवा क्षेत्र का निर्धारण क्षेत्र में स्थित विद्यालयवार किया जाए तद्कम में प्रत्येक विद्यालय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जावे एवं इसका सार्वजनीकरण भी किया जावे।
3. जिले के शैक्षिक अधिकारी अधोसंरचना एवं शिक्षकों का आंकलन तथा बच्चों पर होने वाले व्ययभार का प्रस्ताव तैयार कर शासन को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 13–47/20/2010/2/ रायपुर, दिनांक 12.4.2010

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर।
2. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
4. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
5. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ।
7. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़।
8. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ 13–47/20/2010/2/ रायपुर, दिनांक 12/4/2010

प्रति,

1. **आयुक्त**
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग
   पं.रविशंकर वि.वि. परिसर
2. **संचालक,**
   लोक शिक्षण संचालनालय
   छत्तीसगढ़
3. **संचालक**
   राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
   शंकर नगर, रायपुर
4. **मिशन संचालक**
   राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़

विषयः–6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अधिनियम।

––0––

राज्य में बच्चों का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील हो गया है। उक्त अधिनियम की छायाप्रति, अधिनियम को दिनांक 01.04.2010 से लागू करने संबंधी भारत शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.02.2010 की छायाप्रति, तथा उक्त अधिनियम के कियान्वयन हेतु बनाये जा रहे प्रस्तावित नियम की छायाप्रति नीचे संलग्न है।

(2) आपके द्वारा प्रदेश के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत् बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कियान्वयन एजेन्सी से कई तरह की आवश्यक कार्यवाहियां समय–सीमा के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

(3) अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि अधिनियम के प्रावधानों में आपसे अपेक्षित सभी आवश्यक कार्यवाही समय–सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–47/20/2010/2/ रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर।
2. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
4. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त छत्तीसगढ़।
6. कलेक्टर, समस्त छत्तीसगढ़।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त छत्तीसगढ़।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त छत्तीसगढ़।
9. सहायक आयुक्त, समस्त छत्तीसगढ़।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ13-47/20/2010/दो रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कियान्वयन–निजी विद्यालयों में बच्चों की भर्ती बावत ।

––0––

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है । इस अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों में उनके कुल दर्ज संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों की भर्ती कराया जाना है । नर्सरी अथवा प्राथमिक कक्षाओं में एक किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में 3 किलोमीटर परिधि के भीतर के बच्चों की भर्ती कराया जाना है । इसकी प्रकिया निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

a) परिधि अन्तर्गत उपलब्ध शासकीय विद्यालयों में निजी विद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक बच्चे आवेदन करेंगे ।

b) इस हेतु निकटस्थ हाई अथवा हायर सेकण्ड्री स्कूल में प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित शासकीय एवं निजी विद्यालय के प्रधान पाठक / प्राचार्य सदस्य होंगे । इसके अलावा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य कुछ सदस्य होंगे ।

c) रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा आवेदन करने की प्रकिया बावत जानकारी प्रसारित करने की जवाबदारी इस समिति की होगी ।

d) आवेदक बच्चों के पात्रता की छानबीन तथा निजी विद्यालय की पात्र बच्चों की सूची देने तक की कार्यवाही इस समिति द्वारा की जाएगी ।

e) यदि आवेदक बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो पारदर्शी तरीके से लाटरी पद्धति से भर्ती हेतु बच्चों का चयन किया जाएगा । इस प्रकिया को पूर्ण करने की भी जवाबदारी इसी समिति की होगी ।

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाहीं करें ।

सभी निजी विद्यालयों के बावत निम्न जानकारी प्राप्त करें ।

a) शुरूआत की कक्षा यथा नर्सरी, पहली, छठवीं अथवा नववीं ।

b) नर्सरी, पहली, छठवीं में प्रत्येक शाला की दर्ज संख्या ।

c) विद्यालय द्वारा उक्त कक्षाओं हेतु विद्यार्थी से प्रतिवर्ष ली जाने वाली शुल्क की राशि ।

d) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम ।

e) विद्यालय जिस बोर्ड से संलग्न है उस बोर्ड का नाम ।

f) उक्त कक्षाओं के सत्र की शुरूआत का दिनांक ।

g) विद्यालय द्वारा निम्नतम 25 प्रतिशत से अधिक कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को भर्ती देने की तैयार हो तो वे जिस प्रतिशत तक देने तैयार है, वह प्रतिशत ।

2. इन सभी निजी विद्यालयों के एक एवं तीन किलोमीटर परिधि में उपलब्ध अन्य शासकीय, अनुदान प्राप्त अथवा निजी विद्यालय की जानकारी एकत्र करें ।

3. प्रत्येक निजी विद्यालय हेतु उपरोक्त भर्ती समिति के अध्यक्ष जिस स्कूल के प्राचार्य होंगे उस स्कूल को चिन्हित करें ।

4. यह कार्य यथाशीघ्र परंतु 10 दिनो के भीतर पूर्ण करें ।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक एफ13-47/20/2010/दो रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।

की ओर आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-47/20/2010/2/ रायपुर, दिनांक 12.4.2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   समस्त जिला पंचायत
   छत्तीसगढ़
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़
4. समस्त सहायक आयुक्त
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग
   छत्तीसगढ़

विषय : बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत् विद्यालयों की मान्यता ।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालयों से भिन्न तथा इस नियम के लागू होने से पूर्व स्थापित प्रत्येक विद्यालय को इस कानून के लागू होने की तीन माह की अवधि के भीतर प्रपत्र-1 जो संलग्न प्रेषित है, मे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुसूची में वर्णित मानकों और निम्नांकित शर्तों का घोषणा पत्र देना होगा :-

(अ) कि विद्यालय सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित है, या किसी कानून के अधीन समय विशेष के लिए कार्यकारी पब्लिक ट्रस्ट गठित है।

(ब) कि विद्यालय किसी व्यक्तिगत, समूह या व्यक्तियों के संगठन या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं है।

(स) कि विद्यालय संविधान के पवित्र मूल्यों को सुनिश्चित करती है।

(द) कि विद्यालय भवन या अन्य ढाँचों या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय उपयोग (विद्यालय के कर्मचारियों के आवासीय उद्देश्य को छोड़कर) या राजनैतिक या शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है।

(इ) कि विद्यालय राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला है।

(फ) कि शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय पर चाही गई ऐसे प्रतिवेदनों और सूचनाओं को विद्यालय उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता को शर्तों की पूर्ति या विद्यालय के संचालन में कमियों को दूर करने के लिए जारी निर्देशों का पालन करती है।

(2) प्रपत्र 1 में प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी घोषणा पत्र प्राप्ति के तीन महीने के भीतर ऐसे निद्यालयों का स्थल निरीक्षण करेंगे जो उप-नियम (1) में वर्णित मानको और शर्तो की पूर्ति का प्रपत्र 1 में दावा करते हैं।

(4) निरीक्षण उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा और मानको और शर्तो की पुष्टि करने वाले विद्यालयों को निरीक्षण तिथि से 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी प्रपत्र क्र. 2 (संलग्न प्रेषित) में मान्यता स्वीकृत करेंगे।

(5) नियम में वर्णित मानकों और शर्तों की पुष्टि न करने वाले विद्यालयों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस हेतु सार्वजनिक आदेश के द्वारा सूची बद्ध की जायेगी और ऐसे विद्यालय अगले ढाई (2) वर्षों के भीतर किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता की स्वीकृति के लिए स्थल निरीक्षण हेतु निवेदन कर सकते है।

(6) कानून के लागू होने के तीन वर्ष पश्चात उप-नियम (1) में वर्णित मानकों और शर्तों की पुष्टि न करनें वाले विद्यालय संचालन बन्द कर देंगे।

(7) इस कानून के लागू होने के पश्चात राज्य सरकार या स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय से पृथक अन्य सभी विद्यालय मान्यता योग्य होने के लिए उप-नियम (1) में वर्णित मानको और शर्तों की पुष्टि करेंगे।

(8) जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता संबंधी कार्यवाही अन्तर्गत् यदि यह पाते हैं कि कोई विद्यालय मान्यता स्वीकृति के लिए एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है, या अनुसूची में निर्देशित मानकों और शर्तों की पूर्ति में विफल हैं, तो वे निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे :-

(अ) विद्यालय का मान्यता की स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को उल्लेखित करते हुए नोटिस जारी करेंगे और एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे।

(ब) स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने या निर्धारित समयावधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की सिथति में, जिला शिक्षा अधिकारी तीन से पांच सदस्यों की समिति, जिसमें शिक्षा शास्त्री, नागरिक प्रतिनिधि, मीडिया तथा शासकीय प्रतिनिधि होंगे, से विद्यालय का निरीक्षण करायेंगे जो उचित अन्वेषण कर, उसकी मान्यता की निरन्तरता या वापसी की अनुशंसा के साथ अपना प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(स) जिला शिक्षा अधिकारी समिति के प्रतिवेदन को अपनी टिप्पणियों के साथ, शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत राज्य कार्यालय को स्थिति अनुसार अग्रेषित करेंगे।

(9) शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत राज्य कार्यालय संस्था स्थिति अनुसार, अनुशंसाओं के आधार पर अपना निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।

(10) जिला शिक्षा अधिकारी राज्य शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत राज्य कार्यालय के निर्णय के आधार पर विद्यालय की मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी करेंगे। अमान्यता आदेश अगले अकादमिक वर्ष से कार्यकारी होगा और उसमें समीप का विद्यालय उल्लेखित होगा जिसमें मान्यता निरस्त किये विद्यालय के बच्चे प्रवेशित होंगे।

(11) शासन द्वारा एतद् द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि, जिला शिक्षा अधिकारी इन निर्देशों के परिपालन में समस्त अशासकीय संस्थाओं को नियमों से अवगत् कराकर मान्यता संबंधी कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करेगी एवं अधिनियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

संलग्न :उपरोक्तानुसार।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13-47/20/2010/2/ रायपुर, दिनांक 12.4.2010

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर।
2. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
4. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
5. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ।
7. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़।
8. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक F13-55/ /2011/20 रायपुर, दिनांक मई,2011

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छ0ग0 शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय,रायपुर

सचिव,
छ0ग0 शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय,रायपुर

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के तहत शिक्षकों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता ।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010
2. भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव, दिनांक 4.5.2011.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 की छायाप्रति संलग्न है । इस अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से पांचवी के शिक्षकों के लिये न्यूनतम योग्यता तथा कक्षा छठवी से आठवीं के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता राजपत्र में दर्शायी अनुसार है साथ ही दोनों श्रेणी में राजपत्र के बिन्दू i एवं ii (ख) के अनुसार शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण होना चाहिये ।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है । भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शी पत्र 8 नवंबर, 2010 के कंडिका-4 के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) पर शिथिलीकरण संभव नहीं है ।

2/ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योगयता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना एवं बी0एड, डी0एड0 उत्तीर्ण होना प्रत्येक उम्मीदवार को आवश्यक है । गत वर्ष तक शिक्षाकर्मी भरती नियम के तहत छूट देकर उम्मीदवारों की भरती की जा रही थी लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद ऐसा करना संभव नहीं है ।

अधिनियम की धारा 23 (2) में वर्णित प्रावधान के कम में न्यूनतम अर्हता में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक के लिये शिथिलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । उनसे अभी छूट प्राप्त नही हुआ है । कृपया अवगत होंगे ।

संलग्न– 1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010
2. भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव, दिनांक 4.5.2011.

प्रमुख सचिव
छ0ग0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक F13-55- /2011/20-3 रायपुर, दिनांक10 मई,2011

प्रतिलिपि :-

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव
छ0ग0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय–डी. के. एस.भवन, रायपुर

क्रमांक / एफ–13–47 / 20 / 2011 / दो / DPI / 1093 रायपुर, दिनांक 3/6/11

प्रति,

1– संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छ0ग0 रायपुर ।

2– समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

3– मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
राज्य परियोजना कार्यालय, पेंशन बाड़ा,
रायपुर ।

4– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

5– समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकांस विभाग,
छत्तीसगढ़

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नीजि स्कूलों में कक्षा पहली में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण बाबत् ।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.4.2010

–0–

उपरोक्त विषय में विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2010–11 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के कियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किया गया है । आगामी दिनों में दिनांक 16.6.2011 से नया शिक्षा सत्र वर्ष 2011–12 प्रारंभ होने जा रहा है । अतः अधिनियम की धारा 12 के कियान्वयन हेतु पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है:–

(1) निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) में यह प्रावधान है, कि प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त नीजि शालाओं के द्वारा अपने विद्यालय में कक्षा पहली में आस–पास के कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह के बालकों को कक्षा पहली के कुल बालकों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत संख्या में प्रवेश दिया जावेगा । तात्पर्य यह है, कि प्रत्येक निजि

विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर कक्षा 1 ली में उपलब्ध कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रखा जावेगा तथा प्रति वर्ष कक्षा पहली में कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट आस–पास के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों से भरा जावेगा ।

(2) आस–पास के विद्यालय से आशय प्राथमिक शाला के संदर्भ में बसाहट के 1.00 कि.मी. के भीतर स्थित विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक शाला के संदर्भ में 3.00 कि.मी. की परिधि के भीतर स्थित विद्यालय से होगा । क्षेत्र विशेष में ऐसा हो सकता है कि एक कि.मी. या 3 कि.मी. के भीतर एक से अधिक निजि, शासकीय या दोनों तरह के विद्यालय हो । यह भी संभव है, कि किसी निजि विद्यालय के 1.00 कि.मी. के भीतर भौगोलिक रूप से कोई बसाहट न हो । ऐसी स्थिति में प्रत्येक निजि विद्यालय के वास्तविक सेवा क्षेत्र का निर्धारण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

(3) अधिनियम की धारा 12 कि प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आरक्षण का लाभ केवल वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाना है । कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह को शासन के द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जा रहा है तथापि वंचित समूह का आशय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वन भूमि अधिकार पत्र धारण करने वाले परिवार तथा 40 प्रतिशत निःशक्तता वाले बच्चों से है । इसी प्रकार कमजोर वर्ग से आशय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से होगा । इस तरह अधिनियम की धारा 12 के तहत निजि विद्यालय में कक्षा पहली के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटो के विरूद्ध प्रवेश की पात्रता केवल उपरोक्त वर्ग के परिवार के बच्चों को ही होगा ।

(4) अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजि विद्यालय को मान्यता देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है, अतः उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को चयन एवं प्रवेश

देने संबंधी कार्यो का सम्पादन अपने कार्य क्षेत्र के भीतर करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है ।

(5) जिला शिक्षा अधिकारियो के द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे । इस हेतु कार्यशाला, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय तथा संकुल स्तरीय सम्मेलन एवं कार्यशाला आयोजित किया जावे । दीवाल लेखन, कला जत्था आदि की गतिविधियां भी की जावे ।

(6) प्रत्येक निजि शाला में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के विरूद्ध बच्चों के चयन एवं प्रवेश दिलाने के लिए निजि शालावार एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे । नियुक्त आदेश में शाला का नाम तथा उसके आस–पास के बसाहट, जो कि उक्त शाला के सेवा क्षेत्र में शामिल है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे । प्रत्येक नोडल अधिकारी की जानकारी का आस–पास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे , ताकि लोगों को यह ज्ञात हो सके, कि उन्हें शाला प्रवेश के लिए किस अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हैं ।

(7) नोडल अधिकारी प्राचार्य शाकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर का होना आवश्यक है । यदि निजि विद्यालय के निकट शासकीय हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूल न हो, तो प्रधान पाठक मिडिल स्कूल स्तर का होना आवश्यक है ।

(8) प्रत्येक निजि शालावार नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा उसकी सूचना निजि शाला प्रबंधन, विकास खंड शिक्षा अधिकारी तथा आस–पास के बसाहट, ग्राम पंचायत, नगरी निकाय सहित सर्वसंबंधितों को दी जावेगी ।

(9) जो पात्र पालक अपने बच्चों को निजि विद्यालय में कक्षा पहली में आरक्षित 25 प्रतिशत सीट के विरूद्ध भरती करना चाहते हैं, उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर ही नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 जून 2011 निर्धारित की जाती

है । आवेदन पत्र के साथ पालक को कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग का होने संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । ऐसा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगरी निकाय से भी प्राप्त किया जा सकता है, उसे मान्य किया जावे ।

(10) दिनांक 24.6.2011 तक प्राप्त आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध किया जावे तथा इस बात का परीक्षण भी किया जावे, कि आवेदक परिवार कमजोर वर्ग या वंचित समूह की श्रेणी में आते हैं या नहीं । यह आवेदक परिवार उक्त उक्त श्रेणी में नहीं आते, तो उनका आवेदन अमान्य कर उन्हें तत्काल सूचित किया जावे ।

(11) सभी पात्र परिवारों के बच्चों की संख्या आरक्षित 25 प्रतिशत सीट से कम है, तो आवेदित सभी बच्चों का प्रवेश निजि विद्यालय में कराया जावे, लेकिन यदि बच्चों की संख्या उक्त विद्यालय में आरक्षित सीट संख्या से अधिक है, तो संबंधित पालकों की बैठक आयोजित कर उपलब्ध सीट संख्या के अनुरूप पालकों से ही लाटरी निकाल कर वांछित संख्या में बच्चों का चयन किया जावे । लाटरी निकालने का कार्य पारदर्शी तरीके से किया जावे । यह कार्यवाही दिनांक 30.6.2011 को पूर्ण कर लिया जावे ।

(12) आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों की सूची तथा संख्या की जानकारी नोडल अधिकारी द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी । विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.7.2011 तक पूरे विकास खंड में प्रवेशित बच्चों की शालावार जानकारी तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जावेगी । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों की शालावार जानकारी तैयार कर राज्य को भेजा जावेगा ।

(13) अधिनियम की धारा 12 (2) के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों के शिक्षण व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है । प्रति छात्र शिक्षण व्यय का निर्धारण राज्य शासन

द्वारा किया जावेगा । अतः जिला शिक्षा अधिकारी शालावार बच्चों की जानकारी शासन की भेजते समय संबंधित शाला द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार कुल प्रवेशित छात्रों के लिए वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी भेजे । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि राज्य शासन द्वारा प्रति छात्र व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित दर या शाला द्वारा निर्धारित दर, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जावेगी । अतः निजि विद्यालयों की शुल्क के आधार पर वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करें ।

(14) यदि दिनांक 1.7.2011 तक 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध शैक्षणिक संस्था को कोई प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त आरक्षित सीटों को आरक्षण से मुक्त माना जायेगा । ऐसे मुक्त किये गये सीटों पर विद्यालय को अपने नियमों के तहत अपने द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश देने का अधिकार होगा ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।

3/6/11

(एम0के राऊत)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.कमांक/एफ–13–47/20/2011/दो/DPI/1094 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, छ0ग0 शासन
2– निज सचिव, माननीय आ.जा.कल्याण मंत्री, छ0ग0 शासन
3– सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
4– आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग
5– समस्त संभागायुक्त छ0ग0
6– समस्त मुख्य कार्यपालन अधकारी, जिला पंचायत छ0ग0

3/6/11

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

===0===

क्रमांक एफ 13–47 / 20–तीन / पार्ट–3 / 2011 रायपुर, दिनांक : / 07 / 2011

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी, *सकल*

....

छत्तीसगढ़ ।

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कक्षा 1ली से 8वीं तक के समस्त विद्यालयों के लिए कार्य दिवस एवं शिक्षकों के कार्य घण्टा की न्यूनतम संख्या का निर्धारण।

—00—

विषयांतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कक्षा 1ली से 8वीं तक के समस्त विद्यालयों के लिए कार्य दिवस एवं शिक्षकों के कार्य घण्टा की न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया जाता है :–

शिक्षकों हेतु साप्ताहिक कार्य एवं समय प्रबंधन (प्राथमिक स्तर)

स. क्र.	कार्य विवरण	समय	प्रतिसप्ताह
1	प्रार्थना एवं उपस्थिति	$\frac{1}{3}$ घण्टा प्रतिदिवस X 6 दिवस	2 घण्टे
2	अध्यापन	4 घण्टे प्रतिदिवस X 6 दिवस	24 घण्टे
3	मध्याह्न भोजन	$\frac{2}{3}$ घण्टा प्रतिदिवस X 6 दिवस	4 घण्टे
4	अध्यापन एवं मूल्यांकन की तैयारी	1 घण्टा प्रतिदिवस X 6 दिवस	6 घण्टे
5	छात्र पोर्टफोलियो संधारण	$\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिदिवस X 6 दिवस	3 घण्टे
6	पालक, समुदाय से चर्चा	1 घण्टा प्रतिसप्ताह	1 घण्टा

7	स्टाफ बैठक	$\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिसप्ताह	$\frac{1}{2}$ घण्टा
8	बच्चों को विशेष सहायता	$\frac{2}{3}$ घण्टा प्रतिदिवस x 6 दिवस	4 घण्टे
9	व्यापक मूल्यांकन हेतु उपकरण निर्माण	$\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिसप्ताह	$\frac{1}{2}$ घण्टा
		कुल समय	$45\frac{1}{2}$ घण्टे

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विद्यालय के लिए मान और मानक से संबंधित अनुसूची के पालनार्थ।

अधिनियम में शिक्षकों के लिए प्रतिसप्ताह कार्यघण्टों की न्यूनतम संख्या 45 घण्टे निर्धारित है तथा शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं छठ्वीं से आठ्वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घण्टे निर्धारित किये गये हैं।

कार्य विवरण की संक्षिप्त व्याख्या निम्नानुसार है –

कक्षा छठ्वीं से आठ्वीं तक के शिक्षकों के लिए गतिविधियाँ

1. प्रार्थना एवं उपस्थिति –($\frac{1}{3}$ घण्टा अर्थात् 20 मिनट प्रतिदिन)

सभी बच्चे एवं शिक्षक प्रार्थना स्थल में एकत्रित होंगे। राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत/प्रार्थना इत्यादि का सस्वर सामूहिक गायन। आज के विचार के अंतर्गत, अनमोल वचन, सूक्तियों, महापुरूषों के प्रेरणात्मक वाक्य, प्रसंग आदि का वाचन बच्चों से करावें। सभा समाप्ति उपरान्त कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति ली जाए।

2. अध्यापन – (4 घण्टे 35 मिनट प्रतिदिन)

बच्चों की उपस्थिति के पश्चात् संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्ययन गतिविधियां तथा सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सतत् मूल्यांकन जारी रखा जाए। संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र निम्नानुसार सुझाये जाते हैं –

- **संज्ञानात्मक (Cognitive)** – इस क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा छठ्वीं से आठ्वीं तक पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों (भाषा, अंग्रेजी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा संस्कृत) को सम्मिलित किया जाए।

➢ **सहसंज्ञानात्मक (Co-Cognitive)** – इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित किया जाएं–

(अ) कला, कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य

4. **कला–** चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला, हस्तकला,साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि।
5. **कार्यानुभव–** बच्चों द्वारा किए गए स्वैच्छिक श्रम सम्बन्धी कार्य, प्रोजेक्ट वर्क आदि।
6. **शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य–** इसके अन्तर्गत योग, खेलकूद, स्काउट गाइड, बुनबुल, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वच्छता, पौष्टिक आहार, विभिन्न मौसमी बीमारियां एवं बचाव के टीके संबन्धी जानकारी, अपने आस–पास की स्वच्छता आदि सम्बन्धी गतिविधियां।

(ब) सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति एवं मूल्य–

1. अभिववृत्ति 2. जीवन कौशल 3. पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता

3. मध्याह्न भोजन – ($\frac{2}{3}$ घण्टा अर्थात् 40 मिनट प्रतिदिन)

इस अवधि में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।

4. अध्यापन एवं मूल्यांकन की तैयारी – ($\frac{2}{3}$ घण्टा अर्थात् 40 मिनट प्रतिदिन)

इसके अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों में से कुछ निम्नानुसार हो सकते हैं–

➢ शिक्षक द्वारा अध्यापन एवं मूल्यांकन योजना निर्माण,
➢ बच्चों के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की तैयारी,
➢ टी.एल.एम. का निर्माण,
➢ बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के तरीके,
➢ बच्चों के समूह में कार्य करने की योजना,
➢ सीखने –सिखाने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली चुनौतियों की तैयारी,
➢ विषयवस्तु की समझ विकसित करने हेतु पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पठन सामग्री का अध्ययन, नवीन प्रायोजनाएँ ढूंढना
➢ पुस्तकालय, पुस्तक कोना, लर्निंग कार्नर आदि का उपयोग बच्चें समुचित ढंग से कर सकें इस हेतु तैयारी,
➢ नई सूचनाएँ प्राप्त करना,
➢ कक्षागत् प्रक्रिया के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर नये–नये तरीके ढूंढना एवं अन्य तैयारियां की जाए।

5. छात्र पोर्टफोलियो का संधारण – ($\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिदिन 4 दिवस)

प्रत्येक बच्चे का एक पोर्टफोलियो संधारित किया जाए इसमें मुख्यतः निम्नांकित जानकारी समाविष्ट की जाए –

- बच्चों की सामान्य जानकारी :- नाम, माता–पिता का नाम, वजन, ऊँचाई रक्त समूह, शरीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी, पारिवारिक जानकारी आदि।
- रूचि के क्षेत्र
- शैक्षणिक प्रगति
- बच्चों द्वारा किये गये विशेष कार्यों, गतिविधियों जैसे – बनाये गये चित्र, लिखी गई कहानी, कविता या स्वयं का अनुभव तथा अन्य उपलब्धियों आदि का संकलन किया जाए। इसका उद्देश्य बच्चे की पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति में हुई निरन्तर प्रगति की जानकारी प्राप्त करना है।
  इस पोर्टफोलियो का उद्देश्य किसी भी स्थिति में बच्चों के बीच तुलना करना नहीं है।

6. पालक/समुदाय से चर्चा – (1 घण्टा प्रति सप्ताह)

- शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को शाला में लाने हेतु पालकों व समुदाय से चर्चा कर समाधान करना।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु पालकों एवं समुदाय से सतत् सम्पर्क कर बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए जागरूकता बढ़ाना।
- गुणात्मक शिक्षा, शैक्षिक सर्वे हेतु सम्पर्क कर कार्यक्रम बनाना।
- बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने हेतु चर्चा।
- विद्यालय की गतिविधियों के संबंध में चर्चा।
- कक्षा – कक्ष प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में पालकों का सहयोग लेना।
- छात्र पोर्टफोलियो की अद्यतन जानकारी देना।
- शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को शाला में लाना।
- समुदाय के कौशल युक्त व्यक्तियों का उपयोग शालेय बच्चों की क्षमता विकास हेतु करना।
- शासन द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना।

7. स्टाफ बैठक – ($\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिसप्ताह)

निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की जा सकती है –

- शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को शाला में लाना।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति।
- शाला योजना, ईकाई योजना एवं योजना निर्माण, टी.एल.एम. निर्माण एवं समुचित उपयोग।
- कक्षा में वास्तविक अंतः क्रिया एवं उपचारात्मक शिक्षण।
- पाठ्ययचर्चा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु।
- बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन एवं छात्र प्रोफाइल।
- सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों पर चर्चा।
- समुदाय की सहभागिता।
- विद्यालय समय – सारिणी।

- प्रत्येक बच्चे की उपलब्धि।
- पुस्तक चर्चा।
- अन्य शिक्षा संस्थानों में हुए उत्तम कार्यो पर चर्चा।
- सीखने – सिखाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान।
- शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता वृद्धि।
- शिक्षा का अधिकार कानून के सभी बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करना।

8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता – ($\frac{2}{3}$ घण्टा अर्थात् 40 मिनट प्रतिदिवस)

- उपचारात्मक शिक्षण
- प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का मूल्यांकन एवं तदनुसार अतिरिक्त पूरक शिक्षण देना।
- बच्चे की संवेगात्मक समस्याओं की पहचान एवं समाधान।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुरूप विशेष मदद पहुँचाना।

9. व्यापक मूल्यांकन हेतु उपकरण निर्माण – ($\frac{1}{2}$ घण्टा प्रतिसप्ताह)

- सतत एवं समग्र मूल्यांकन के कियान्वयन हेतु फॉर्मेटिव मूल्यांकन के उपकरण ढूंढना / तैयार करना
- उपकरण का उपयोग कर उसकी उपयोगिता की समीक्षा करना
- अन्य विद्यालयों में मूल्यांकन पर किए गए नवाचारों का संकलन करना।

R. Shandilya

(रीता शाण्डिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.कमांक. एफ 13–47/20–तीन/पार्ट–3/2011 रायपुर, दिनांक :18/07/2011

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
7. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर ।
8. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपर ।

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक एफ13–47/20/2010/3 रायपुर, दिनांक 10.8.11

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**
   छत्तीसगढ़
4. **समस्त सहायक आयुक्त**
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग
   छत्तीसगढ़

विषय :– **6 से 14 आयु वर्ग आयु के समस्त बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से सबंधित अधिनियम अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन ।**

–0–

बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2009 अंतर्गत बनाये गये नियम 2010 के नियम 3 के अनुसार किया जाना है ।

<u>संरचना</u> :

विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1. विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्य संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होंगे ।
   समिति के अन्य 15 सदस्य निम्नानुसार प्रवर्ग के होंगे :–
   1.1. समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अर्थात 12 सदस्य बच्चों के माता–पिता या पालक होंगे ।
   1.2. समिति के शेष 25 प्रतिशत सदस्यों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :–
      अ. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई सदस्य अर्थात 1 सदस्य स्थानीय प्राधिकरण (पंचायत/नगरीय संस्था) के निर्वाचित सदस्यों में से होगा । जिसका चयन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।
      ब. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई अर्थात 1 सदस्य विद्यालय के अध्यापकों में से होगा । जिसका चयन विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा ।

स. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई अर्थात 1 सदस्य स्थानीय शिक्षाविदो/विद्यालय के बालकों में से होगा । जिसका चयन समिति में माता–पिता/पालकों द्वारा किया जायेगा ।

टीप :– विद्यालय प्रबंध समिति में उपर्युक्तानुसार 15 सदस्यों में से 50 प्रतिशत अर्थात 8 पदों पर महिला सदस्य होंगी ।

2. विद्यालय प्रबंध समिति अपने कियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता–पिता/पालक सदस्यों मे से 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी ।
3. विद्यालय का प्रधान अध्यापक या जिस विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजक होगा ।

4. बैठक :

विद्यालय प्रबंध समिति माह में कम से कम 1 बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चिय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और सार्वजनिक किये जायेंगे ।

कोरम :

बैठक हेतु पालक सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य अर्थात 4 तथा चयनित सदस्यों में से कम से कम 1 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगा ।

5. <u>कार्यकाल</u> :

समिति का कार्यकाल शिक्षा सत्र के लिए ही होगा ।

6. <u>पद से मुक्ति :</u>

1. कोई भी सदस्य, सदस्य संयोजक को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकेगा ।
2. बिना पर्याप्त कारण के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने से सदस्यता समाप्त हो जायेगी । इसकी सूचना सदस्य संयोजक द्वारा दी जायेगी ।
3. पालक सदस्य की सभी संतानो/पाल्यों के स्कूल छोड़ देने पर अथवा लगातार 1 माह अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, इसकी सूचना सदस्य संयोजक द्वारा दी जायेगी । बच्चों की शारीरिक अस्वस्थता में यह शिथिलनीय होगा ।
4. किसी भी सदस्य की सदस्याता समाप्त होने पर शेष पालक सदस्यों द्वारा उसी प्रकार के सदस्य का चयन किया जायेगा, जिस प्रकार के सदस्य की सदस्यता की समाप्त हुई हो ।

7. <u>कृत्य : कार्य एवं अधिकार</u>

विद्यालय प्रबंध समिति निःशुल्क एवं अनिर्वाय बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 की उपधारा 2 के खण्ड क से घ में निश्चिय कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी ।

i. अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता–पिता और सरंक्षक, के कृर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास के जनसाधरण को सरल और सृजनात्मक रूप से संसूचित करना :
ii. धारा 24 के खण्ड क और ड. तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
iii. इस बात की मानिटर करना कि अध्यापकों द्वारा धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ।
iv. विद्यालय में आसपास के सभी बालःको के नामाकंन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ।
v. अनुसूची में विनिर्दिष्ट सनियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना ।
vi. बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किये जाने ओर धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंधों को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना ।
vii. आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना ।
viii. निःशक्ताग्रसत बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ।
ix. विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की मानिटर करना ।
x. विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ।

अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत बने नियम 2010 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्तानुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित किया जाये ।

(एम.के.राउत) 16/11
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ13–47/20/2010/3 रायपुर, दिनांक 11.8.11

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
4. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर
5. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़।
7. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़।
8. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 23/8/11

कमांक F13-47/20-3/11/पार्ट-4 :: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 13 (1) के प्रावधानों के परिपालन में निम्नलिखित आदेशित करती है, कि :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक/बालिका को प्रवेश देते समय केपिटेशन फीस संग्रहित नहीं करेगा, और बालक/बालिका या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रकिया के अधीन नहीं रखेगा ।

2. जो कोई विद्यालय या व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लघन में :-

   क. प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है, तो वह जुर्माने जो प्रभारित केपिटेशन फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय होगा;

   ख. किसी बालक को अनुवीक्षण प्रकिया के अधीन रखता है, तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
R. Shandilya
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक F13-47/20-3/2011/पार्ट-4 रायपुर, दिनांक 23/8/11

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय-रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, रायपुर
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर
9. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
11. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shukla
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक

कमांक F13-47/पार्ट-4/20-3/2011 :: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 16 के प्रावधानों के परिपालन में निम्नलिखित आदेशित करती है, कि :-

1. **छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित किसी भी विद्यालय में प्रविष्ट बालक/बालिका को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तथा किसी भी कक्षा में न तो रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।**

2. **जो उक्त उपबंधो का उल्लंघन करेगा वे प्रचलित सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के उत्तरदायी होंगे ।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
R. Shandilya
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक F13-47/20-3/2011/पार्ट-4 रायपुर, दिनांक 23/8/11

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय-रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, रायपुर
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर
9. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
11. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shandilya
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक

कमांक 13-47/ 20-3/2011/पार्ट-4 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 17 के प्रावधानों के परिपालन में निम्नलिखित आदेशित करती है, कि :-

1. **"प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित किसी विद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा"।**

2. **जो कोई उक्त उपबन्धों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति विभागीय भर्ती नियम एवं सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के उत्तरदायी होंगे।**

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

R. Shandilya
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक F13-47/20-3/2011/पार्ट-4 रायपुर, दिनांक 23/8/11

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय-रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ शासन, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, रायपुर
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर
9. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
11. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shandilya
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक

कमांक F13-47/20-3/2011/पार्ट-4 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 28 के प्रावधानों के परिपालन में निम्नलिखित आदेशित करती है कि :-

1. **"प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के कोई भी शिक्षक या शिक्षा कर्मी निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण कियाकलाप में स्वयं को नहीं लगायेगा ।"**

2. **जो कोई उक्त उपबन्धों का उल्लंघन करेगा/करेगी, वे प्रचलित सेवा नियमों के अधीन दण्डित किये जायेंगे ।**

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
R. Shandilya
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक F13-47/20-3/2011/पार्ट-4 रायपुर, दिनांक 23/9/11

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय-रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ शासन, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, रायपुर
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर
9. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
11. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
11. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shandilya
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक

कमांक F13-47/20-3/2011 पार्ट-4/ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 30 के प्रावधानों के परिपालन में निम्नलिखित आदेशित करती है, कि :-

1. **छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि में किसी भी स्तर पर कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।**

2. **प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर, प्रत्येक बालक को शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र, संबंधित विद्यालय के द्वारा जारी किया जायेगा ।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

R. Shandilya
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क. F13-47/ /20-3/2011 पार्ट-4 रायपुर, दिनांक 28/8/11

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय-रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय-रायपुर
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, रायपुर
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर
9. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
11. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

R. Shandilya
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 23/03/2012

क्रमांक एफ 13-13/20-3/2012. ::: छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की कंडिका–34, सहपठित छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 की कंडिका–29 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा, "राज्य सलाहकार परिषद" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

(1)	माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	–	पदेन अध्यक्ष
(2)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	–	पदेन सदस्य सचिव
(3)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग	–	पदेन सदस्य
(4)	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	–	पदेन सदस्य
(5)	संचालक एवं सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण	–	पदेन सदस्य
(6)	अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	–	पदेन सदस्य
(7)	श्री जफर अहमद, शिक्षाविद् नुरानी चौक, राजातालाब रायपुर (अल्पसंख्यक)	–	नामांकित सदस्य
(8)	श्री छबीलाल टीकम, ग्राम हारम, पोस्ट–गीदम जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ (अ.ज.जा.)	–	नामांकित सदस्य
(9)	श्री भागवत दास अस्तुरे, शिक्षाविद्, गुढ़ियारी, रायपुर (अ.जा.)	–	नामांकित सदस्य
(10)	श्री भोजराम अजगले, ग्रा.पो. सलिहा वि.ख. बिलाईगढ़ जिला बलौदा बाजार, छ0ग0 (अ.जा.)	–	नामांकित सदस्य
(11)	श्रीमती मीता मुखर्जी "आकांक्षा" अवंती विहार रायपुर	–	नामांकित सदस्य
(12)	श्रीमती मीना सिंह, संचालक, "प्रयास" भिलाई, जिला–दुर्ग	–	नामांकित सदस्य
(13)	सिस्टर सरिता, प्राचार्य, होलीक्रास उ.मा.वि.,पेंशनबाड़ा, रायपुर	–	नामांकित सदस्य

(14) श्री एम.पी.यादव, प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई — नामांकित सदस्य
जिला दुर्ग

(15) श्री एल.डी.दुबे, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शा.बहु.उ.मा.वि.रायपुर — नामांकित सदस्य
शैलेन्द्र नगर रायपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 13-13/20-3/2012 — रायपुर,दिनांक 23/03/2012

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. निज सहायक, अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. संबंधित...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

R. Shandilya 23.3.12
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर

कमांक एफ-13-19/20-3/2012 रायपुर, दिनांक 13 अप्रेल 2012

प्रति,

1. कलेक्टर,
   समस्त .
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
   समस्त
   छत्तीसगढ ।

विषय :- मान्यता प्राप्त नीजि विद्यालयों के द्वारा अधिक शुल्क वसूली पर रोक ।

---:0:---

विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त हो रहे ज्ञापनों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है, कि प्रदेश में संचालित कतिपय नीजि संस्थाओं के द्वारा शिक्षा को व्यवसायिक रूप में संचालित किया जा रहा है तथा शिक्षण शुल्क, युनिफार्म, पुस्तकें एवं अन्य गतिविधियों के नाम पर मनमाने ढंग से शुल्क वसूली की जा रही है । शिक्षा राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है तथा शासन की यह नीति है, कि प्रदेश में शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि सेवा के रूप में संचालित किया जाना चाहिये । राज्य में नीजि संस्थाओं को विद्यालय संचालित करने हेतु मान्यता इस शर्त पर दी जाती है, कि उनके द्वारा विद्यालयों का संचालन "लाभ नहीं-हानि नहीं" के सिद्धांत के आधार पर किया जावेगा ।

2/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, कि:-

1. प्रत्येक नीजि विद्यालयों के द्वारा प्रति वर्ष अपने विद्यालय के आडिटेड आय-व्यय का ब्यौरा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।
2. प्रत्येक नीजि विद्यालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के आवेदन पत्र के साथ प्रारूप-एक में विद्यालय के उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।
3. प्रत्येक नीजि विद्यालय के द्वारा प्रति वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क प्रारूप को प्रकाशित करेगा तथा उसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी की प्रस्तुत करेगा ।

3/ अतः समस्त नीजि विद्यालयों से उपरोक्त बिन्दुओं पर 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से जानकारी प्राप्त किया जावे । जिन नीजि विद्यालयों के द्वारा उक्त बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, उन विद्यालयों को एक सप्ताह का कारण बताओं नोटिस जारी कर उनकी मान्यता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे । जिन विद्यालयों के द्वारा उक्त बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत की गई है, उन विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत विवरण का परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण जिला स्तर पर वरिष्ट अधिकारियों की 3 सदस्यीय समीति गठित कर किया जावे तथा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः-

1. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत आय-ब्यय विवरण का परीक्षण कर यह देखा जावे, कि विद्यालय का संचालन 'न लाभ-न हानि' के सिद्धांत पर हो रहा है या नहीं ?
2. विद्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क के प्रारूप तथा उनके द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का तुलनात्मक परीक्षण किया जावे, तथा यह देखा जावे, कि क्या विद्यालय के द्वारा निर्धारित शुल्क, उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की तुलना में युक्तियुक्त है, या नहीं ? साथ ही यदि किसी विद्यालय द्वारा आगामी शिक्षण सत्र हेतु शिक्षण शुल्क में बृद्धि की गई है, तो ऐसी बृद्धि युक्तियुक्त है अथवा नहीं तथा ऐसी बृद्धि पर संबंधित विद्यालय के पालक समीति से सहमति प्राप्त किया गया है, या नहीं ?
3. निर्धारित शुल्क का परीक्षण करते समय इस बात का भी परीक्षण किया जावे, कि नीजि विद्यालयों के द्वारा पुस्तकों, यूनिफार्म, बस, विकास शुल्क इत्यादि के नाम पर किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस तो वसूल नहीं की जा रही है ?
4. यदि उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं में से किसी का भी उलंघन किसी नीजि विद्यालय द्वारा किया जाना पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के प्रावधानों के तहत तत्काल कारण बताओ सूचना जारी करते हुये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से राज्य शासन तथा संबंधित शाला को संबद्धता प्रदान करने वाले बोर्ड को दी जावे ।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन कडाई से कराना सुनिश्चित किया जावे ।

(के.आर.पिस्दा) 13/4/10
सचिव
छत्तीसगढ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक [illegible] 13 [illegible]/2012 रायपुर, दिनांक 13 अप्रेल 2012

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ, रायपुर ।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ, रायपुर ।
6. संभाग आयुक्त समस्त . . . .
7. संचालक, राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ, रायपुर ।
8. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव 13/4/2012

छत्तीसगढ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक .....

कमांक एफ 13–12/20–तीन/2012 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित छात्रों के शिक्षण व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(1) प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए राशि रूपये 7000/– प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

(2) अपर प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए राशि रूपये 11,400/– प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

इसके अतिरिक्त छात्रों को राशि रूपये 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) पाठ्यपुस्तक तथा राशि रूपये 400/–(रूपये चार सौ मात्र) गणवेश व्यय के भुगतान की सहमति दी जाती है उक्त सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि अशासकीय शालाओं को भविष्य में दी जाने वाली उक्त राशि के सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग मापदण्ड एवं निगरानी के लिए निर्देश जारी करे ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के य.ओ. कमांक 368/1001189/वि.वि ब–3/2012, दिनांक 31.08.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक एफ 13–12/20–तीन/2012 रायपुर, दिनांक

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर यू.ओ. कमांक 368/1001189/वि.वि./ब–3/2012, दिनांक 31.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर (छ0ग0),
5. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

---0---

कमांक एफ 13–47/2010/20–3 रायपुर, दिनांक : 07/1/2013

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़ ।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   समस्त जिला पंचायत,
   छत्तीसगढ़ ।
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
   छत्तीसगढ़।
4. **समस्त सहायक आयुक्त,**
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **पूर्व प्राथमिक शाला (नर्सरी शाला) का विनियमन ।**
संदर्भ :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3, दिनांक 12.04.2012।

---X---

उपरोक्त विषय में कृपया विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के संबंध में यह निर्देश प्रसारित किया गया है, कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी निजी विद्यालयों में प्रतिवर्ष पहली कक्षा में प्रवेशित बच्चों की संख्या के न्यूनतम् 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर तथा वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है । ऐसे विद्यालय जहां पहली कक्षा से पूर्व नर्सरी कक्षाएं भी संचालित है उनमें नर्सरी कक्षा में प्रतिवर्ष प्रवेश के समय भी यह प्रावधान लागू होगा। अतः नर्सरी तथा प्राथमिक कक्षाओं में एक किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 3 किलोमीटर की परीधि के भीतर बच्चों को शालाओं में भर्ती कराया जावे ।

2/– शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है, कि मैदानी स्तर पर अधिकारियों में अभी भी स्पष्टता नहीं है, कि नर्सरी शालाओं के लिए अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे या नहीं । अतः उक्त संबंध में परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है :–

1. राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रावधान नर्सरी शालाओं के ऊपर भी लागू हैं । अतः समस्त संचालित नर्सरी शालाओं को उक्त अधिनियम की धारा–18 के तहत् मान्यता प्राप्त करना होगा इसके लिए नर्सरी विद्यालय को निर्धारित प्रारूप–एक में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारी को संपूर्ण जानकारी के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया जावे । वे संस्थाएं जो निर्धारित मापदण्ड पूरा करती हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप–दो में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जावे । जो शालाएं उक्त मापदण्डों को पूरा नहीं करती या पूर्व से संचालित होने के बाद भी निर्धारित अवधि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करती, उन्हें आगामी शिक्षण सत्र से अर्थात् जुलाई माह से बंद किया जावे । अवैध रूप से संचालन पाये जाने पर उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।

2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12 के प्रथम परन्तुक में यह प्रावधान है, कि उपरोक्त विद्यालय में से कोई विद्यालय यदि पूर्व शिक्षा (नर्सरी शाला स्तरीय शिक्षा) देता है, तो धारा–12 (1) के खण्ड (क) (ख) एवं (ग) के प्रावधान ऐसे विद्यालयों पर भी लागू होंगे, तथा उन्हें भी शाला संचालन के लिए न केवल अधिनियम के प्रावधानों के तहत् मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि 25 प्रतिशत् सीटों पर दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को प्रवेश देकर शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे प्रवेशित बच्चों के ऊपर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी, जो कि संबंधित शाला द्वारा किये गये वास्तविक व्यय या शासन द्वारा प्रति छात्र किये जाने वाले वास्तविक व्यय इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(के.आर.पिस्दा) 5/1/2013
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 13–47/2010/20–3 रायपुर, दिनांक 07/1/2013

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर ।
5. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
7. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर ।
8. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर ।
9. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव 5/1/2013
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन,नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक...9/5/13

कमांक एफ 13–47/2010/20–3 : : राज्य शासन एतद् द्वारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अशासकीय विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1	श्री ए.बी.दुबे, सेवानिवृत्त संचालक स्कूल शिक्षा, लक्ष्मी नगर, रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री एम.पी.यादव, पूर्व प्राचार्य, डी.पी.एस. रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग	सदस्य
3	डॉ. जवाहर सूरी सेट्टी, संचालक मैक, समता कॉलोनी, रायपुर	सदस्य
4	श्री विजय खण्डेलवाल, प्राचार्य, जे.आर.दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर	सदस्य
5	श्री बी.डी.द्विवेदी अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल सोसायटी छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य
6	श्री प्रवीण मैसेरी, उपाध्यक्ष श्री गुजराती शिक्षण संघ, देवेन्द्र नगर, रायपुर	सदस्य
7	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर, संचालक, रायल एकेडमी, रायपुर	सदस्य
8	सिस्टर सरिता, प्राचार्य, होली क्रास स्कूल, रायपुर	सदस्य
9	श्री पी.के.बोस, प्राचार्य, युगान्तर स्कूल, राजनांदगांव	सदस्य
10	श्रीमती प्रतिमा अवस्थी, अपर संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	सदस्य सचिव

2/– यह समिति शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय शालाओं के संबंध में जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों विषयक प्रस्ताव एक माह के भीतर राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगी ।

3/– समिति की बैठकों हेतु आवश्यक न्यूनतम मूलभूत व्यवस्थाएं मिशन संचालक सर्व शिक्षा अभियान, रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी ।

4/– अतिरिक्त मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, समिति की सचिव होंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/5/13
(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3 नया रायपुर दिनांक 9/5/13

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
4. कलेक्टर, रायपुर–छत्तीसगढ़ ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर–छत्तीसगढ़ ।
6. गार्ड फाईल ।
7. संबंधित अध्यक्ष/सदस्य..

....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9/5/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
===0===

कमांक एफ 13–47/2010/20–3
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 25-7-13

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़ ।
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।
3. **समस्त शिक्षा अधिकारी,**
   छत्तीसगढ़ ।
4. **समस्त सहायक आयुक्त,**
   आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **6 से 14 आयु वर्ग आयु के समस्त बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अधिनियम अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन बाबत्।**
संदर्भ :– विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3, दिनांक 11.08.2011

——00——

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति **(School Management Committee)** का गठन छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 की **कंडिका–3** के अंतर्गत किया गया है ।

2/– उक्त विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं :–

1. संरचना शीर्षक अंतर्गत **टीप** "विद्यालय प्रबंध समिति में उपर्युक्तानुसार 15 सदस्यों में **से** 50 प्रतिशत अर्थात 8 पदों पर महिला सदस्य होंगी ।" के पश्चात् निम्नांकित **टीप** जोड़ी जाए **"समिति में अलाभित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों के माता–पिता या संरक्षकों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाये ।"**
2. शीर्षक कार्यकाल अंतर्गत "समिति का कार्यकाल शिक्षा सत्र के लिए ही होगा" के स्थान पर **"शाला प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष 6 माह होगा ।"**

शेष बिन्दु यथावत रहेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

R. Shandilya
(रीता शाण्डिल्य)
उप सचिव़
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–47/2010/20–3 नया रायपुर, दिनांक 25-7-13

प्रतिलिपि :–

1. **विशेष सहायक,** माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. **निज सहायक,** माननीय मंत्रीजी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. **अवर सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
5. **आयुक्त/संचालक,** लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
6. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ।
7. **मिशन संचालक,** राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
8. **संचालक,** राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

R. Sharma 25/7/13

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 13–07/2013/20–3 नया रायपुर, दिनांक 2-8-2013

प्रति,

1. संचालक,
   लोक शिक्षण संचालनालय,
   रायपुर ।
2. मिशन संचालक,
   राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
   रायपुर,
3. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास विभाग,
   रायपुर ।

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निजी स्कूलों में नर्सरी अथवा कक्षा पहली से 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण बाबत् ।

संदर्भ :– विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13–47/20/2010/दो, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 एवं क्र.एफ 13–47/2010/20–3, दिनांक 07.01.2013 ।

---00---

उपरोक्त विषयातंर्गत संदर्भित पत्र अवलोकन करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2010–11 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के कियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किया गया है । नये शिक्षा सत्र वर्ष 2013–14 में अधिनियम की धारा 12 के कियान्वयन हेतु पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त निजी शालाओं के द्वारा अपने विद्यालय में नर्सरी अथवा कक्षा पहली में आस–पास के कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह के बालकों को नर्सरी अथवा कक्षा पहली के कुल बालकों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत संख्या में प्रवेश दिया जावेगा । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर नर्सरी अथवा कक्षा पहली में उपलब्ध कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रखा जावेगा तथा प्रति वर्ष नर्सरी अथवा कक्षा पहली में कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत सीट आस–पास के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों से भरा जावेगा ।

2. आस–पास के विद्यालय से आशय प्राथमिक शाला के संदर्भ में बसाहट के 1 कि0मी0 के भीतर स्थित विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक शाला के संदर्भ में 3 कि0मी0 की परिधि के भीतर स्थित विद्यालय से होगा । क्षेत्र विशेष में ऐसा हो सकता है कि 1 कि0मी या 3 कि0मी0 के भीतर एक से अधिक निजी, शासकीय या दोनों तरह के विद्यालय हो । यह भी संभव है कि किसी निजी विद्यालय के 1 कि0मी0 के भीतर भौगोलिक रूप से कोई बसाहट न हो ।

3. अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आरक्षण का लाभ केवल वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाना है। कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह को शासन के द्वारा पृथक से अधिसूचित किया गया है, इस तरह अधिनियम की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में नर्सरी अथवा कक्षा पहली के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश की पात्रता केवल उपरोक्त वर्ग के परिवार के बच्चों को ही होगा ।

4. अधिनियम के प्रावधानों के तहत् निजी विद्यालय को मान्यता देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है । अतः उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को चयन एवं प्रवेश देने संबंधी कार्यो का संपादन अपने कार्य क्षेत्र के भीतर करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है ।

5. जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के प्रावधानों का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे । इस हेतु कार्यशाला, जिला स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय तथा संकुल स्तरीय सम्मेलन तथा कला जत्था आदि की गतिविधियां भी की जाएं ।

6. प्रत्येक निजी शाला में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के विरूद्ध बच्चों के चयन एवं प्रवेश दिलाने के लिए निजी शालावार एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे । नियुक्त आदेश में शाला का नाम तथा उसके आस–पास के बसाहट जो कि उक्त शाला के सेवा क्षेत्र में शामिल है का स्पष्ट उल्लेख किया जावें । प्रत्येक नोडल अधिकारी की जानकारी का आस–पास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि लोगों को यह ज्ञात हो सके कि उन्हें शाला प्रवेश के लिए किस अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है ।

7. नोडल अधिकारी प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डी स्कूल स्तर का होना आवश्यक है । यदि निजी विद्यालय के निकट शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल न हो तो प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल स्तर का होना आवश्यक है ।

8. प्रत्येक निजी शालावार नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा उसकी सूचना निजी शाला प्रबंधन, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा आस–पास के बसाहट, ग्राम पंचायत, नगरी निकाय सहित सर्व संबंधितों को दी जावेगी ।

9. जो पात्र पालक अपने बच्चों को निजी विद्यालय में नर्सरी अथवा कक्षा पहली में आरक्षित 25 प्रतिशत सीट के विरूद्ध भर्ती करना चाहते हैं उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर ही नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2013 निर्धारित की जाती है । आवेदन पत्र के साथ पालक को कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग का होने संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । ऐसा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय से भी प्राप्त किया जा सकता है, उसे मान्य किया जावे।

10. दिनांक 16.08.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध किया जावें तथा इस बात का परीक्षण भी किया जावें कि आवेदक परिवार कमजोर वर्ग या वंचित समूह की श्रेणी में आते हैं या नहीं । यदि आवेदक परिवार उक्त श्रेणी में नहीं आते हैं तो उनका आवेदन अमान्य कर उन्हें तत्काल सूचित किया जावे तथा सूचना फलक पर भी दें ।

11. सभी पात्र परिवारों के बच्चों की संख्या आरक्षित 25 प्रतिशत सीट से कम है तो आवेदित सभी बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालय में कराया जावे लेकिन यदि बच्चों की संख्या उक्त विद्यालय में आरक्षित सीट संख्या से अधिक है तो संबंधित पालकों की बैठक आयोजित कर उपलब्ध सीट संख्या के अनुरूप पालकों से लॉटरी निकाल कर वांछित संख्या में बच्चों का चयन किया जावे । लॉटरी निकालने का कार्य पारदर्शी तरीकें से किया जावे । यह कार्यवाही दिनांक 19.08.2013 को पूर्ण कर लिया जावें ।

12. आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों की सूची तथा संख्या की जानकारी नोडल अधिकारी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.201: तक पूरे विकासखण्ड में प्रवशित बच्चों की शालावार जानकारी तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जावेगी । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों की शालावार जानकारी तैयार कर राज्य को भेजी जावेगी।

13. अधिनियम की धारा 12 (2) के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत सीट के विरूद्ध प्रवेशित बच्चों के शिक्षण व्यय का भुगतन राज्य शासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है । प्रति छात्र शिक्षण व्यय का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जावेगा । अतः जिला शिक्षा अधिकारी शालावार बच्चों की जानकारी शासन को भेजते समय संबंधित शाला द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार कुल प्रवेशित छात्रों के लिए वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी भेजें । यह पुन स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा प्रति छात्र व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित दर या शाला द्वारा निर्धारित दर, इनमें से जो कम हो, के आधार पर की जावेगी । अतएव् निजी विद्यालयों की शुल्क के आधार पर वास्तविक मांग राशि की जानकारी भी अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करें ।

14. यदि दिनांक 24.08.2013 तक 25 प्रतिशत आरक्षित सीट के विरूद्ध शैक्षणिक संस्था को कोई प्रस्ताव नोडल अधिकारी से प्राप्त नहीं होता है तो उक्त आरक्षित सीटों को आरक्षण से मुक्त माना जायेगा । ऐसे मुक्त किये गये सीटों पर विद्यालय को अपने नियमों के तहत अपने द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश देने का अधिकार होगा ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।

R. Sharma

(रीता शाण्डिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक [redacted] 20-13 नया रायपुर, दिनांक : 02-08-2013

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी,, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी,, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ।
5. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

R. Shukla

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

University of Educatnal Planning and Administration
Acc. No. D-4972
Date: 17-08-2016
Docunenation Centre

NUEPA DC
D14972